नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार से प्रसारित

सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2)
Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 330, नई दिल्ली, गुरुवार 29 जनवरी 2026, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जिस इंसान के पास आशा होती है, वह कभी पराजित नहीं होता है!

02 खराब दिनचर्या का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

06 "इन्द्रिया और ध्यान: जीवन का गहन अनुभव"

08 भुवनेश्वर सुंदरपाड़ा बम विस्फोट घटना पर NIA ने बम ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है

डी टी सी की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करवाए जाने के सम्बन्ध में दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का ज्ञापन पत्र

संजय कुमार बाठला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन मजदूर संघ वर्ष 1967 से कार्यरत्त डीटीसी का एक मान्यता प्राप्त संगठन है जोकि भारतीय मजदूर संघ व भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ से संबंधित है। जो सदैव राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है।

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने दिल्ली चुनाव से पहले आशा की थी कि जब तक दिल्ली में सरकार नहीं बदलती तब तक दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दे हल नहीं होंगें। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो समस्याएं पिछली सरकार के दौरान पैदा हुई थी। वहीं समस्याएं और ज्यादा गहरी हो गई है।

हमने सरकार को एवं दिल्ली परिवहन निगम मनेजमैन्ट को समय दिया कि सोच समझ कर सरकार व प्रबंधन डीटीसी की समस्याओं का निराकरण करेगी लेकिन वर्तमान की सरकार एवं मैनेजमैन्ट ने तो डीटीसी की समस्याओं को और गहरा कर दिया है और यह लगने लगा है कि डीटीसी का अस्तित्व ही खत्म होने जा रहा है।

जिससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना पैदा हो गई है। 2010 के बाद डीटीसी के बेड़े में एक भी बस नहीं आई है। सभी बसें प्राइवेट आपरेटर्स की ही आ रही हैं जो कि न तो दिल्ली की जनता के हित में है और न ही डीटीसी कर्मचारियों के हक में है।

कयोंकि इन प्राईवेट बसों पर ठेकेदार के चालकों को लगाया गया है जो अनुभवहीन हैं जिसके चलते रोज गंम्भीर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण है कि चालकों के मानदंडों को अनदेखा करके भर्ती किया जा रहा है जो चालक 20-25 वर्षों से गाड़ियां चला रहे थे उन्हें अनुभव था उनको कंडक्टर बनाया जा रहा है और नोसिखिया चालकों से डीटीसी की गाड़ियां चलवाई जा रही हैं जिससे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और डीटीसी की बदनामी हो रही है।

दूसरी ओर डीटीसी में लगभग 22000 कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। उनको स्थाई करने की बात बार बार सरकार के सामने उठाई जा चुकी है। पिछली सरकार ने तो कुछ समय मांगा था और कहा था कि हम जल्द ही इनको स्थाई करने जा रहे हैं। लेकिन इस सरकार द्वारा तो आश्वासन तक भी नहीं दिया गया जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।

लगभग 20 हजार कर्मचारी जो डीटीसी में काम करते थे और सफलतापूर्वक अपनी सेवा देकर रिटायर हो गये हैं उनको भी वर्तमान सरकार में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें समय पर पेंशन भी नहीं मिल रही है जिससे उनमें काफी असंतोष है।

अंतः दिल्ली परिवहन मजदूर संघ मांग करता है कि निम्नलिखित मांगों पर प्रबंधन व सरकार गंम्भीरता से विचार करें।

प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं: -

1. दिल्ली सरकार डीटीसी के बेड़े में 5000 बसें खरीद कर दें जिनका स्वामित्व डीटीसी का हो और चालक तथा मैनटिनेंस भी डीटीसी के कर्मचारियों द्वारा किया जाए। जैसा दूसरे प्रदेशों में किया जा रहा है।

2. डीटीसी में 22 हजार अनुबंधित कर्मचारी हैं जो वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थाई किया जाए। क्योंकि डीटीसी का कार्य प्रमानेंट नेचर वर्क है न कि अस्थाई प्रवृति का है। और जब तक इन अनुबंधित कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया जाता, इन्हें समान वेतन (Basic+DA) दिया जाये।

3. रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन का स्थाई समाधान करते हुए पेंशन का हैड बनाया जाए।

डीटीसी में समस्याएं तो अनगिनत हैं लेकिन ज्वलंत समस्याओं से ही आपको अवगत कराया जा रहा है। उपरोक्त विषय पर माननीय प्रबंध निदेशक से कई बार औपचारिक बैठक की यूनियन द्वारा मांग की गई है लेकिन औपचारिक बैठक एक भी नहीं दी गई जबकि दिल्ली परिवहन मजदूर संघ एक मान्यता प्राप्त यूनियन है।

अंत दिल्ली परिवहन मजदूर संघ मांग करता है कि जल्द से जल्द उपरोक्त गंभीर मांगों पर विचार करें। अन्यथा दिल्ली परिवहन मजदूर संघ विवश होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन व दिल्ली सरकार की होगी।

नोट : दिल्ली परिवहन मजदूर संघ कई बार पत्रों के माध्यम से प्रबंधन व दिल्ली सरकार को दिल्ली परिवहन निगम की समस्याओं से अवगत कराया है।

दिये गये पत्रों का विवरण :-

1. दिनांक-21-01-2025
2. दिनांक-29-01-2025
3. दिनांक-05-05-2025
4. दिनांक-29-07-2025
5. दिनांक-01-10-2025
6. दिनांक-18-12-2025

इन पत्रों को देकर मीटिंग की मांग की गई थी पर प्रबंधन व दिल्ली सरकार ने लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई त्रिपक्षिय ओपचारिक बैठक / मीटिंग नहीं बुलाई गई है।

परिवहन विशेष जनहित विशेष कॉलम

समाज में फैल रहे इस नासूर का जिम्मेदार कौन

आज कल की फिल्में या सोशल मीडिया पर फैल रही गंदगी ?

पिंकी कुंडू

कामुकता:- कामुकता लड़का हो या लड़की सभी के अन्दर आज कूट कूट के भरी है, आज के समय 15 वर्ष की लड़किया प्रेग्नेंट हो रही हैं पर उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि वो किससे प्रेग्नेंट होती है

एक बार एक लड़की डॉक्टर के पास आती है जिसे पेट में हल्का हल्का दर्द बार बार हो रहा था वो अभी क्लास 11 में पढ़ती थी, और और महज 15 16 साल की थी,

जब शुरुवाती जांच की तो शक हुआ कि हो सकता है यह प्रेग्नेंट है, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो वो सच में प्रेग्नेंट थी, लगा कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत किया है इस लिए डॉक्टर ने 1 से 2 घंटा उसका समय लिया और काउंसलिंग की जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि किसी ने गलत नहीं किया है।

डॉक्टर ने उसे कुछ दवा देके उसका भरोसा जीता और बोला 2 दिन बाद फिर आओ, दो दिन बाद वो जब फिर आई तब डॉक्टर ने पूछा दर्द कैसा है। उसने बोला मेम दर्द ठीक है लेकिन पेट में भारीपन लगता है

डॉक्टर ने उससे पूछा "बेटा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में हो ?" उसने बोला नहीं।

फिर डॉक्टर ने बिना समय गवाए बोला

"देखो तुम 2 - 3 हफ्ते की प्रेग्नेंट हो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ्य है कोई डरने की बात नहीं यह पूरी तरह से गोपनीय है।

अब तुम बताओ इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो या दवा देके इसे साफ करना चाहती हो" उसने बिना कुछ सोचे बोला डॉक्टर मेरी उम्र नहीं की मै बच्चे को पैदा करु इस लिए आप इसे साफ कर दीजिए।

डॉक्टर बोला कि अच्छा ठीक है तो उसे बुलाओ जिसका यह बच्चा है, क्यों की मुझे जरूरी काम है बिना जाने मै आगे नहीं बढ़ सकती, उसने बोला मुझे नहीं पता कि यह किसका बच्चा है।

डॉक्टर ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने बताया उसके 7 से ज्यादा लड़कों के साथ संबंध है जिसे सुनकर डॉक्टर हैरान थी।

डॉक्टर ने उससे पूछा उसने ऐसा क्यों किया तब उसने जवाब दिया पहली बार तो बस यह जानने के लिए किया था कि कैसा लगता है धीरे धीरे आदत बन गई

उसके बाद अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अलग लग लड़के कुछ भी करने को तैयार रहते थे अगर मैं अपना शरीर उन्हें सौंप दूं तो

डॉक्टर ने फिर उससे पूछा तुम्हारी ऐसी कौन सी जरूरत है जिसे पूरा करने की जरूरत है तो उसका जवाब था

आई फोन लेना उसका रिचार्ज, महंगे रेस्टुरेंट में जाना पार्टी करना ट्रिप पर जाना

डॉक्टर ने उसे समझाया कि बेटा जिंदगी में मित्र रखो लेकिन जिसके साथ सहवास करना है वो एक इंसान रहे उस पर उसका जो जवाब था वो बड़ा अजीब था

"मैम आज फ्रेंड विद बेनिफिट का जमाना है मतलब ऐसे दोस्त जिनके साथ हम सब कुछ कर सकते हैं - यानी शारीरिक जरूरत भी पूरी कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट भी नहीं और एंजॉय पूरा"

डॉक्टर के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था उसने उसे सलाह दी कि यह सब मत करो क्योंकि बार बार गर्भभात करवाना जानलेवा है, वो बिना कुछ बोले ही वहां से चली गई, लेकिन साल भर में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां है जो सिर्फ यही चाहती है कि उनके गर्भभात के बारे में किसी को पता भी ना चले और उनकी प्रेग्नेंसी खत्म हो जाए।

"मेरा सवाल बच्चों से नहीं उनके मां - बाप से है"

1. क्या आप पैसे कमाने में इतना बिजी है कि बच्चे क्या कर रहे कहां जा रहे आप को नहीं पता ??

2. क्या कभी अपने जानने की कोशिश की आप की बेटी जो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है उसकी कीमत क्या है ??

3. अब मैं इसे पढ़ने वालो से पूछती हूं समाज में फैल रहे इस नासूर का जिम्मेदार कौन है ??

आज कल की फिल्म या सोशल मीडिया पे फैली गंदगी ?? अपना जवाब दीजिए।

दिल्ली के नजफगढ़ में खंभे से टकराई DTC बस, हादसे में कार भी हुई क्षतिग्रस्त

मंगलवार रात द्वारका के नजफगढ़ में एक डीटीसी बस अनियंत्रित होकर स्ट्रीट लाइट के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि खंभा उखड़कर एक खड़ी कार पर गिर गया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। चालक ने ब्रेक फेल होने का दावा किया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस बस की यांत्रिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

परिवहन विशेष न्यूज

पश्चिमी दिल्ली। द्वारका के नजफगढ़ इलाके में मंगलवार रात एक अनियंत्रित डीटीसी की रूट नंबर 817 की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के खंभे से जा टकराई।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बिजली का भारी-भरकम खंभा उखड़कर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर वहां खड़ी एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा मंगलवार देर रात उस समय हुआ जब सड़क किनारे मोमोज की रेहड़ी लगी हुई थी। जैसे ही बस खंभे से टकराई, खंभा सीधे वहां पार्क की गई कार पर जा गिरा। हादसे के वक्त रेहड़ी संचालक वहीं मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया।

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए, लेकिन तब तक चालक बस लेकर वहां से निकलने का प्रयास करने लगा, पर लोगों ने उसे घेर कर दबोच लिया।

ब्रेक फेल होने से खोया नियंत्रण

चालक ने लोगों को बताया कि बस का अचानक ब्रेक फेल हो गया था, जिसके कारण उसने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। हालांकि, परिवहन विभाग या पुलिस द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

हवाई दुर्घटना ने छीन लिया जनसेवा का उज्ज्वल सितारा : डॉ यादव

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार की दुखद मृत्यु

परिवहन विशेष न्यूज, राउरकेला, 28 जनवरी 2026 — आज सुबह महाराष्ट्र की राजनीति और पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा आया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजित अनंतराव पवार का बारामती एयरपोर्ट के नजदीक एक भीषण विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वे मुंबई से जिला परिषद चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 8:10 बजे Learjet 45 विमान मुंबई से उड़ा। बारामती में लैंडिंग के दौरान घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण विमान नियंत्रण खो बैठा। दूसरी कोशिश में रनवे के पास क्रैश हो गया1 वे कहते थेः "राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, सत्ता के उपभोग के लिए नहीं।" हर कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने वाली उनकी सादगी और ईमानदारी लाखों के दिलों में बसी है। सोशल मीडिया पर #RIPAjitPawar ट्रेंड कर रहा है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने कहाः "आज हमने केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक ईमानदार, संघर्षशील और जनसेवा को धर्म मानने वाले सच्चे सिपाही को खो दिया। अजित पवार जी गरीबों, किसानों, युवाओं और समाज के हर वर्ग के प्रिय थे। यह क्षति पूरे देश की है। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती।" डॉ. यादव ने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच और DGCA सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग की व कहा अजित पवार का जाना एक युग का अंत है। उनका संघर्ष और सादगी हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। राज्य के सभी कार्यालयों में शोक सभा आयोजित कर श्रदांजलि देने के आदेश निर्गत किये ।

टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

पिंकी कुंडू

https://tolwa.com/about.html I tolwaindia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com

आज का साइबर सुरक्षा विचार: Cyber Security Advisory

25 – 26 जनवरी 2026 को प्रकाशित समाचार रिपोर्टों के अनुसार, 15 करोड़ से अधिक यूज़र्स के पासवर्ड डार्कवेब पर लीक हुए हैं।

प्रभावित प्लेटफॉर्म्स:

- Gmail – 4.8 करोड़
- Facebook – 1.7 करोड़
- Instagram – 65 लाख
- Netflix – 34 लाख
- Yahoo – 40 लाख
- Outlook – 15 लाख

कई अकाउंट्स में एक ही पासवर्ड उपयोग किया गया था – जिससे एक पासवर्ड से कई प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन संभव है।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लाखों पासवर्ड बेहद कमजोर थे – जैसे "123456", "password", "qwerty" आदि।

क्या पासवर्ड ऑथेंटिकेटर समाधान है? हाँ – पासवर्ड ऑथेंटिकेटर (2FA / MFA) का उपयोग ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा उपायों में से एक है, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ।

यह कैसे मदद करता है

– क्रेडेंशियल स्टफिंग रोकता है: लीक हुए पासवर्ड से भी लॉगिन संभव नहीं होगा बिना दूसरे फैक्टर के।

– डायनेमिक लेयर जोड़ता है: कोड हर 30–60 सेकंड में बदलते रहते हैं।

– कमज़ोर/दोहराए गए पासवर्ड की सुरक्षा करता है: एक अकाउंट का समझौता अन्य अकाउंट्स को स्वतः असुरक्षित नहीं बनाता।

सीमाएँ

– पहले से हुए हमलों पर लागू नहीं।

– SMS आधारित OTP कमजोर; ऐप या हार्डवेयर की अधिक सुरक्षित।

– पासवर्ड अनुशासन का विकल्प नहीं – मजबूत, अलग पासवर्ड आवश्यक।

ऐसे उल्लंघन की स्थिति में सर्वोत्तम अभ्यास

1. तुरंत सभी पासवर्ड बदलें – खासकर Gmail, Facebook, Instagram, Netflix, Yahoo, Outlook पर।

2. हर जगह 2FA सक्षम करें – Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy या हार्डवेयर की का उपयोग करें।

3. एक्सपोज़र जांचें – haveibeenpwned.com जैसी सेवाओं का उपयोग करें।

4. अकाउंट्स की निगरानी करें – संदिग्ध लॉगिन प्रयास, ईमेल या वित्तीय गतिविधि पर नज़र रखें।

5. धोखाधड़ी तुरंत रिपोर्ट करें – भारत में 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

जागरूकता। Awareness

– संदिग्ध ईमेल, लिंक या कॉल से सतर्क रहें।

– फिशिंग से बचने के लिए अनजाने स्रोतों पर क्लिक न करें।

– अपने ईमेल को नियमित रूप से जांचें।

साइबर हेल्पलाइन। Cyber Helpline

– किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें।

www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

संदेश | Message to All Citizens and Officers "एक ही पासवर्ड से कई अकाउंट्स लॉगिन हो सकते हैं – यही सबसे बड़ा खतरा है पर पासवर्ड ऑथेंटिकेटर क्रेडेंशियल स्टफिंग रोकता है।"

साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी जिम्मेदारी नहीं – यह नागरिक और संस्थागत संस्कृति है ॥

सतर्क रहें, सशक्त बनें, और दूसरों को भी जागरूक करें।

जनहित जनकल्याण जनसूचना

पिंकी कुंडू। पान मसाला के निर्माता, ध्यान दे! स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025– 1 फरवरी, 2026 से लागू होगा

स्वास्थ्य विशेष

स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी

हल्दी भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण

पिंकी कुंडू

हल्दी भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम Curcuma longa है।

हल्दी में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कर्क्यूमिन (Curcumin) सूजनरोधी, जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है।

भारत में हल्दी की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग अलग-अलग रोगों व उद्देश्यों में किया जाता है।

हल्दी के प्रमुख प्रकार व उपयोग

1. पीली हल्दी (साधारण हल्दी)
* उपयोगः चोट, सूजन, सर्दी-खांसी, पाचन सुधार
* विशेषताः सबसे अधिक प्रचलित, रसोई व औषधि दोनों में
* रोगों में उपयोगीः घाव, त्वचा रोग, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में

2. कस्तूरी हल्दी
* उपयोगः सौंदर्य प्रसाधन, त्वचा निखार
* विशेषताः खाने में कम, लेप के रूप में अधिक
* लाभः मुंहासे, दाग-धब्बे, त्वचा की चमक

3. लक्ष्मी हल्दी
* उपयोगः पूजा-पाठ व पारंपरिक उपचार
* लाभः सौभाग्य, सकारात्मक ऊर्जा (लोकमान्यता)

4. काली हल्दी
* उपयोगः आयुर्वेदिक व तांत्रिक प्रयोग
* लाभः जोड़ों का दर्द, दमा, सूजन
* विशेषताः दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है

5. दारु हल्दी
* उपयोगः आयुर्वेदिक औषधियाँ
* लाभः बुखार, त्वचा रोग, पाचन विकार

6. सफेद हल्दी
* उपयोगः दर्द व सूजन
* लाभः पाचन सुधार, मूत्र विकार

7. लाल हल्दी
* उपयोगः रक्तसंचार सुधार
* लाभः एनीमिया, कमजोरी

8. नारंगी हल्दी

* उपयोगः सूजनरोधी
* लाभः त्वचा रोग, जोड़ों का दर्द

* लाभः तनाव कम करना, त्वचा पोषण

10. अमर हल्दी
* उपयोगः प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में
* लाभः दीर्घकालिक रोगों में सहायक

11. मदर हल्दी
* उपयोगः स्त्री-स्वास्थ्य
* लाभः हार्मोन संतुलन (परंपरागत उपयोग)

12. कृष्णा हल्दी
* उपयोगः सूजन, दर्द
* लाभः गठिया, मांसपेशियों का दर्द

13. जंगली हल्दी (अंबा हल्दी)
* उपयोगः आयुर्वेदिक दवाएँ
* लाभः भूख बढ़ाना, त्वचा रोग

14. औषधीय हल्दी (विशेष किस्में)
* उपयोगः दवाइयों में
* लाभः सूजन, संक्रमण, प्रतिरक्षा

9. सुगंधित हल्दी
* उपयोगः तेल, इत्र, आयुर्वेद

हल्दी के प्रमुख औषधीय गुण
- सूजनरोधी (Anti-inflammatory)
- जीवाणुरोधी (Antibacterial)
- एंटीऑक्सीडेंट
- पाचन सुधार
- रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली

सावधानियाँ

1. अत्यधिक सेवन से पेट में जलन हो सकती है
2. गर्भावस्था या गंभीर रोग में डॉक्टर की सलाह आवश्यक
3. काली/दुर्लभ हल्दी का उपयोग विशेषज्ञ मार्गदर्शन में करें

निष्कर्षः- हल्दी केवल मसाला नहीं, बल्कि प्राकृतिक औषधि है। अलग-अलग प्रकार की हल्दी विभिन्न रोगों में उपयोगी होती हैं। सही पहचान और उचित मात्रा में उपयोग से हल्दी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है।

"बालम खीरा, पेट को बना दे हीरा"

पिंकी कुंडू

बालम खीरा देखने में साधारण खीरे जैसा लगता है, लेकिन यह एक दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर फल माना जाता है। इसका पौधा धीरे-धीरे बढ़कर पेड़ का रूप ले लेता है और पूरी तरह विकसित होने पर लगभग 15 – 20 मीटर तक ऊँचा हो सकता है। इस पेड़ पर खीरे जैसे फल लगते हैं, जो कई पारंपरिक उपचारों में उपयोग किए जाते हैं।

बालम खीरे के पोषक तत्व — बालम खीरे का फल, छाल और तना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होते हैं।

बालम खीरे के औषधीय फायदे –

1. इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक :- बालम खीरा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसके फल को सुखाकर चूर्ण बनाया जाता है, जिसका सीमित मात्रा में सेवन पारंपरिक रूप से कई बीमारियों में लाभकारी माना जाता है।

2. पथरी की समस्या में :- पारंपरिक मान्यता के अनुसार, इसका चूर्ण या काढ़ा किडनी स्टोन में सहायक हो सकता है। कहा जाता है कि यह पथरी को धीरे-धीरे गलाने या बाहर निकालने में मदद करता है।

3. मलेरिया व सूजन में :- शरीर में सूजन या बुखार जैसी स्थिति में इसका रस उपयोगी माना गया है। लोक चिकित्सा में इसे मलेरिया जैसे रोगों में सहायक उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

4. लीवर स्वास्थ्य में सहयोगी :- यह लीवर की कार्यप्रणाली को संतुलित करने में मदद कर सकता है। सुबह खाली पेट इसका रस लेने से पीलिया में फायदेमंद है।

5. पाचन शक्ति को बेहतर बनाए :- बालम खीरे में प्राकृतिक फाइबर और जल तत्व पाए जाते हैं, जो आंतों की सफाई में सहायक होते हैं। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं में राहत देने में मदद कर सकता है।

6. शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन प्रदान करें :- तासीर से ठंडा माना जाने वाला यह फल गर्मियों में

शरीर को ठंडक देता है। इसमें मौजूद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में सहायक हो सकते हैं।

7. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर :- इसमें आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। इससे त्वचा, बाल और संपूर्ण स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है।

बालम खीरा सेवन करने का तरीका –

चूर्ण के रूप में :- पके हुए फल को छोटे टुकड़ों में काटकर अच्छी धूप में पूरी तरह सुखा लें। सूखने के बाद इसे पीसकर बारीक चूर्ण बना लें। 1–2 ग्राम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ, दिन में एक बार लें सकते है।

काढ़ा बनाकर :- सूखे फल या छाल का छोटा टुकड़ा लें और एक गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो छानकर हल्का गुनगुना सेवन करें। दिन में एक बार से अधिक न लें।

बीज का उपयोग :- बीजों को सुखाकर पीस लें। लगभग ½–1 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लिया जा सकता है, खासकर पाचन संबंधी समस्या में।

सावधानियाँ –

1. कच्चे या अधपके फल का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि इसमें कूक्रिबिटेसिन (Cucurbitacin) नामक तत्व पाया जाता है, जिसे अधिक मात्रा में सेवन करने से उल्टी, दस्त या पेट दर्द हो सकता है।

2. गर्भवती महिलाएं, किडनी या लीवर के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह सेवन न करें।

3. इसे किसी गंभीर बीमारी की मुख्य दवा का विकल्प न मानें, सही मात्रा और विधि का पालन करना बेहद जरूरी है।

बेर के पत्ते – मुंह के छाले, जलन और दर्द में देसी ठंडक

पिंकी कुंडू

जिन लोगों को

1. मुंह में बार-बार छाले हो जाते हैं
2. जलन और दर्द रहता है
3. खाने-पीने में परेशानी होती है

उनके लिए बेर के पत्तों का यह पुराना घरेलू नुस्खा बहुत राहत देने वाला है।

बेर के पत्ते क्या करते हैं?

1. मुंह की जलन को ठंडक देते हैं
2. छालों का दर्द कम करते हैं
3. सूजन और जलन शांत करते हैं
4. मुंह के घाव जल्दी भरने में मदद करते हैं
5. मुंह को साफ और ठंडा रखते हैं

कैसे इस्तेमाल करें? (विधि)
* 1–2 ताजे बेर के पत्ते लें
* साफ पानी से धो लें
* धीरे-धीरे अच्छी तरह चबाएं
* रस मुंह में घूमने दें

नियमित उपयोग से

1. छालों में ठंडक मिलती है
2. जलन और दर्द कम होता है
3. छाले जल्दी शांत होने लगते हैं
4. मुंह में आराम महसूस होता है

ध्यान रखें

1. बहुत ज्यादा पत्ते न चबाएं
2. गंदे या बासी पत्ते न लें
3. अगर एलर्जी हो तो उपयोग न करें

बेर के पत्ते – मुंह के छालों में तुरंत ठंडक देने वाला देसी उपाय

किस तेल की मालिश किस बीमारी से राहत देती है, जाने तेलों के औषधीय गुण

पिंकी कुंडू

किस तेल की मालिश किस बीमारी में लाभदायक

1 सरसों का तेल
लाभ – जोड़ दर्द, गठिया, सर्दी-खांसी, शरीर की अकड़न
कैसे करें – गुनगुना करके पूरे शरीर या जोड़ों पर मालिश

2 नारियल तेल
लाभ – तनाव, अनिद्रा, त्वचा रोग, बाल झड़ना
कैसे करें – सिर और शरीर पर हल्की मालिश

3 तिल का तेल
लाभ – वात रोग, कमर दर्द, नसों की कमजोरी, लकवा
कैसे करें – रोज सुबह या रात को अभ्यंग मालिश

4 अरंडी का तेल
लाभ – जोड़ सूजन, कब्ज, पेट दर्द
कैसे करें – जोड़ों पर या पेट पर हल्की मालिश

5 जैतून का तेल
लाभ – घुटनों का दर्द, मांसपेशियों की जकड़न
कैसे करें – गुनगुना कर मालिश करें

6 बादाम का तेल
लाभ – याददाश्त कमजोर, मानसिक थकान, नसों की कमजोरी
कैसे करें – सिर और तलवों पर मालिश

7 महानारायण तेल (आयुर्वेदिक)
लाभ – साइटिका, गठिया, पुराना दर्द
कैसे करें – दर्द वाली जगह पर रोज मालिश

8 नीलगिरी तेल
लाभ – सर्दी, जुकाम, सीने में जकड़न
कैसे करें – छाती और पीठ पर मालिश (थोड़ा सा)

10 ब्राह्मी तेल
लाभ – तनाव, अनिद्रा, माइग्रेन
कैसे करें – सिर की मालिश सप्ताह में 3–4 बार

जीवन की कड़वी सच्चाई

डॉ. शिरीष राजे, मनोवैज्ञानिक ने यह अंतिम सत्य कहा है और हर वृद्ध पुरुष को इसे पढ़कर चिंतन अवश्य करना चाहिए।

1. पुरुष बूढ़ा होता है, जबकि स्त्री परिपक्व होती है।

2. जैसे ही पुरुष अपने बच्चों की शादी कर देता है और परिवार की आर्थिक नींव मजबूत कर देता है, परिवार में उसका वरिष्ठ और सम्मानित स्थान धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है।

3. इसके बाद उसे बोझ समझा जाने लगता है, चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनिश्चित स्वभाव वाला बूढ़ा व्यक्ति।

4. जिन कठोर निर्णयों से उसने कभी पत्नी और बच्चों के लिए व्यवस्था बनाई थी, आज उन्हीं निर्णयों की चीर-फाड़ होकर आलोचना होती है; एक न एक कारण से उसे दोषी ठहरा दिया जाता है। और यदि वास्तव में उससे कोई गलती हुई हो, तो भगवान ही रक्षा करे।

5. वृद्ध स्त्री को, इसके विपरीत, बच्चों और बहुओं से सहानुभूति मिलती है, क्योंकि उसके माध्यम से अभी भी कई काम करवाने होते हैं।

6. सही समय आने पर वह समझदारी से पति के पक्ष से बच्चों के पक्ष में चली जाती है।

7. जब पति उम्र में बड़ा हो, तो पत्नी बहू के साथ तालमेल बना लेती है, ताकि बेटा उससे दूर न हो और उसकी देखभाल करता रहे।

8. पुरुष ने जीवन में चाहे कितनी ही महान उपलब्धियाँ हासिल की हों, बुढ़ापे में वे किसी काम नहीं आतीं।

9. जबकि वृद्ध स्त्री अपने पुराने पुण्यों का ब्याज जीवन भर पाती रहती है।

10. जिन लोगों के पास पैतृक संपत्ति या खेती होती है (जिसकी बच्चों को अब भी इच्छा रहती है) उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन जिन्होंने भविष्य के झगड़ों से बचने के लिए समय से पहले संपत्ति बाँट दी, वे अक्सर उपरोक्त ही दुःखद स्थिति का सामना करते हैं। इसलिए संपत्ति समय से पहले न बाँटना ही बेहतर है।

11. किसी भी अस्पताल में चले जाएँ, रिश्तेदारों की आँखे देखकर ही पता चल जाता है कि भर्ती वृद्ध पुरुष है या वृद्ध स्त्री, यदि वृद्ध पुरुष हो, तो उसकी बेटी को छोड़कर शायद ही किसी की आँखे नम होती है।

12. निष्कर्षः जैसे ही पुरुष वृद्ध होता है, उसे सीख लेना चाहिए कि दूसरों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। याद रखें, मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी है। समझ लें कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। विरक्ति, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीना सीखें।

13. मेरा सुझावः आपने दूसरों के लिए क्या-क्या किया, यह सोचना भी छोड़ दें, और इस बारे में बात करना भी बंद कर दें।

14. प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी स्त्री ने वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण किया हो।

15. ये आश्रम केवल पुरुषों के लिए निर्धारित थे। इनके महत्व को समझें, तब ज्ञात होगा कि हमारे पूर्वज कितने दूरदर्शी थे।

16. मैं कौन हूँ ??

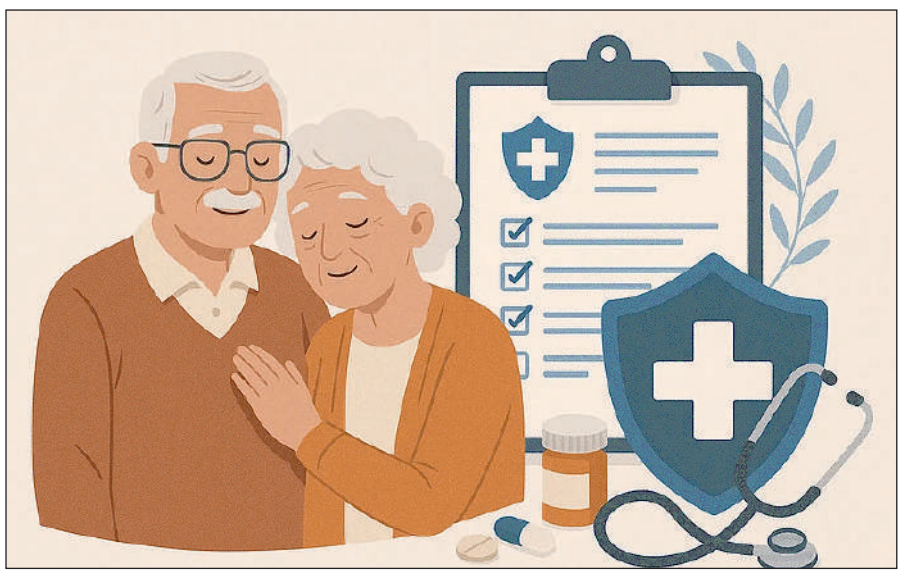

सेवानिवृत्ति के बाद,
न नौकरी, न कोई दिनचर्या,
और घर की चुप्पी, तभी मैंने स्वयं को पहचानना शुरू किया।

मैं कौन हूँ?

कोठियाँ बनाईं,
फार्महाउस खड़े किए,
छोटे-बड़े अनेक निवेश किए,
और आज चार दीवारों के भीतर सीमित हो गया हूँ।
साइकिल से मोपेड,
मोपेड से बाइक,
बाइक से कार, गति और शान का पीछा किया,
पर अब कमरे के भीतर
धीरे-धीरे अकेले चलता हूँ।
प्रकृति मुस्कुराकर पूछती है —
"कौन हो तुम, मेरे मित्र ?"
और मैं कहता हूँ,
"मैं... बस मैं।"
दुनिया के कई राज्य, देश और महाद्वीप देखे,
पर आज मेरी यात्रा
ड्रॉइंग रूम से किचन तक है।
संस्कृतियाँ-परंपराएँ समझीं,
पर अब मन, बस अपने परिवार को समझना चाहता है।
प्रकृति हँसकर फिर पूछती है —
"कौन हो तुम, मेरे मित्र ?"
और मैं कहता हूँ,
"मैं... बस मैं।"
कभी जन्मदिन, सगाई, विवाह — सब धूमधाम से मनाए,
आज बस अच्छी नींद और भूख लगना ही मेरी खुशी है।
प्रकृति पूछती है,
"कौन हो तुम ?"
और मैं उत्तर देता हूँ —
"मैं... बस मैं।"
सोना-चाँदी-हीरे जवाहरात
लॉकरों में सो रहे हैं। सूट-ब्लेज़र
अलमारियों में ठहरे हैं।
और मैं —
नर्म सूती कपड़ों में,
सरल और स्वतंत्र।
अंग्रेज़ी-फ्रेंच-हिंदी सब सीखी,
पर अब माँ की बोली में बात करने में सुकून मिलता है।
काम के लिए अनगिनत यात्राएँ कीं और अब उन फायदों नुकसानों को सिर्फ यादों में तौलता हूँ।
व्यवसाय चलाए,
परिवार सँवारा,
अनेकों संबंध बनाए,
और आज सबसे सच्चा साथी पास का पड़ोसी है।
कभी हर नियम का पालन किया, शिक्षा के पीछे भागा, पर अब जाकर समझ आया कि वास्तविक मायने क्या हैं।
जीवन के उतार-चढ़ाव के बाद,
शांत क्षण में आत्मा ने कहा, बस अब, तैयार हो जाओ,
हे यात्रीङ्क
अंतिम यात्रा की तैयारी का समय आ गया हैङ्क
प्रकृति ने कोमलता से पूछा —
"कौन हो तुम, मेरे मित्र ?"
और मैंने कहा —
"हे प्रकृति,
तुम ही मैं होङ्क
और मैं ही तुम हूँ।
कभी आकाश में उड़ता था,
आज धरती को नम्रता से छूता हूँ।
क्षमादान दो, एक और अवसर दो जीने का, पैसे कमाने की मशीन नहीं,
बल्कि एक सच्चे इंसान के रूप में मूल्यों के साथ,
परिवार के साथ,
प्रेम के साथ।"

सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रेम, शक्ति और शांति की शुभकामनाएँ।

चरित्र की अग्नि-परीक्षा: जब श्रीराम ने ली लक्ष्मण की परीक्षा!

पिंकी कुंडू

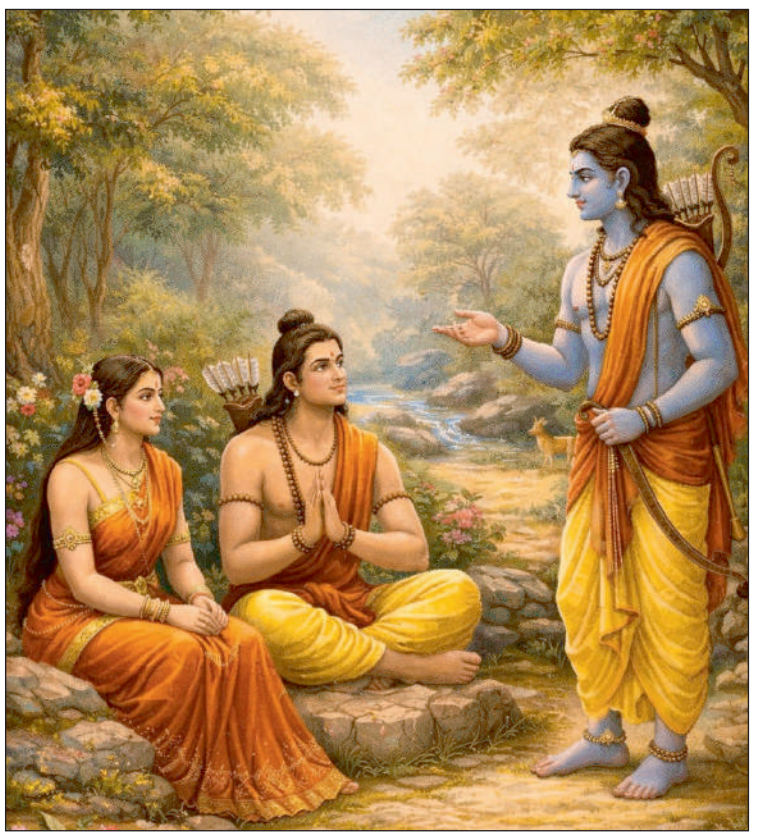

यह प्रसंग उस वनवास काल का है, जब चित्रकूट की पावन धरा प्राकृतिक सौंदर्य से खिली हुई थी। चारों ओर शांति थी, और वन का एकांत वातावरण किसी के भी मन को मोह लेने के लिए पर्याप्त था।

एक समय की बात है, माता सीता और लक्ष्मण जी एक शिला पर एकांत में बैठे थे। दोनों ही युवावस्था में थे। माता सीता का सौंदर्य अलौकिक था, और लक्ष्मण का तेज सूर्य समान। उसी समय, प्रभु श्रीराम वहाँ पधारे। उन्होंने देखा कि इस निर्जन वन में, जहाँ वसंत का प्रभाव है, सीता और लक्ष्मण अकेले बैठे हैं।

प्रभु राम, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ने अपने अनुज लक्ष्मण के आत्म-संयम और चरित्र की गहराई को दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्रश्न-रूपी लीला रची।

राम जी ने लक्ष्मण की आँखों में देखते हुए एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक प्रश्न किया:

श्रीराम का प्रथम प्रश्न:

>पुष्पं दृष्ट्वा फलं दृष्ट्वा, दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम्।

>त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव, कस्य नो चलते मनः।।

अर्थातः "हे लक्ष्मण! संसार में सुंदर खिले हुए पुष्प, रसीले फल और किसी स्त्री का अद्भुत यौवन—इन तीन रत्नों को एक साथ देखकर, भला किस पुरुष का मन विचलित नहीं होता?"

(यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह एक युवा तपस्वी के संयम की सीधी चुनौती थी।)

लक्ष्मण जी ने विचलित हुए बिना, बड़ी विनम्रता और दृढ़ता से उत्तर दिया:

लक्ष्मण का उत्तर:

>पिता यस्य शुचिर्भूतो, माता यस्य पतिव्रता।

>उभाभ्यामेव संभूतो, तस्य नो चलते मनः।।

भावार्थ: "भैया! जिस पुत्र का पिता पवित्र आचरण वाला हो, और जिसकी माता पूर्ण रूप से पतिव्रता हो—उन दोनों के पवित्र संस्कारों से जन्में पुत्र का मन, संसार का कोई भी प्रलोभन विचलित नहीं कर सकता।"

(लक्ष्मण जी ने यहाँ अपने चरित्र का श्रेय अपने माता-पिता के संस्कारों को दिया।)

किंतु श्रीराम की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने प्रश्न को और अधिक कठिन और तीखा बना दिया।

श्रीराम का द्वितीय प्रश्न:

>अग्निकुण्डसमा नारी, घृतकुम्भसमः पुमान्।

>पार्श्वे स्थिता सुन्दरी चेत्, कस्य नो चलते मनः।।

अर्थातः "लक्ष्मण! शास्त्र कहते हैं कि नारी 'अग्निकुंड' के समान है और पुरुष 'घी के घड़े' के समान। यदि अग्नि और घी एक-दूसरे के अत्यंत समीप हों, तो पिघलना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में यदि कोई अपूर्व सुंदरी एकांत में पास बैठी हो, तो किसका मन नहीं डोलता?"

(यह प्रश्न प्रकृति के नियम पर आधारित था, जिसे काटना असंभव सा लगता है।)

तब लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया, वह आज के युग के लिए भी चरित्र-निर्माण का मूल मंत्र है:

लक्ष्मण का अद्वितीय उत्तर:

>मनो धावति सर्वत्र, मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्।

>ज्ञानाङ्कुशसमा, बुद्धिस्तस्य नो चलते मनः।।

भावार्थ: "हे रघुनन्दन! आप सत्य कहते हैं। यह मन एक मदमस्त हाथी की तरह है जो सदैव विषयों (भोग-विलास) की ओर दौड़ता है। किंतु... जिसके पास 'ज्ञान' और 'विवेक' रूपी अंकुश है, वह इस पागल हाथी को भी नियंत्रित कर लेता है। जिसकी बुद्धि ज्ञान के अंकुश से बंधी है, उसका मन कभी विचलित नहीं हो सकता, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।"

लक्ष्मण जी का यह उत्तर केवल संवाद नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का गौरव है। यह सिद्ध करता है कि संयम बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतरी 'विवेक' और 'संस्कारों' से आता है।

धन्य है वह भारत-भूमि, जहाँ लक्ष्मण जैसे 'जितेंद्रिय' (इन्द्रियों को जीतने वाले) महापुरुषों ने जन्म लिया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सुंदरता वस्तुओं में नहीं, देखने वाले की दृष्टि और पवित्रता में होती है।

सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है!

पंचदेव — विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति

पिंकी कुंडू

सनातन हिन्दू धर्म की पूजा पद्धति में किसी भी कार्य का शुभारंभ करने अथवा जप - अनुष्ठान एवं प्रत्येक मांगलिक कार्य के आरंभ में सुख - समृद्धि देने वाले पांच देवता, एक ही परमात्मा पांच इष्ट रूपों में पूजे जाते है।

एक परम प्रभु चिदानन्दघन परम तत्त्व हैं

सर्वाधार।

सर्वातीत,सर्वगत वे ही अखिलविश्वमय रुप अपार।।

हरि, हर, भानु, शक्ति, गणपति हैं इनके पांच स्वरूप उदार।

मान उपास्य उन्हें भजते जन भक्त स्वरुचि श्रद्धा अनुसार।। (पद-रत्नाकर)

निराकार ब्रह्म के साकार रूप हैं पंचदेव परब्रह्म परमात्मा निराकार व अशरीरी है, अतः साधारण मनुष्यों के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान असंभव है, इसलिए निराकार ब्रह्म ने अपने साकार रूप में पांच देवों को उपासना के लिए निश्चित किया जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये पंचदेव हैं — विष्णु, शिव, गणेश, सूर्य और शक्ति।

आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवम्।

पंचदैवतभित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्।।

एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गां गणाधिपम्।

भास्करं च धिया नित्यं स कदाचिन्न सीदति।। (उपासनातत्त्व)

अर्थातः- सूर्य, गणेश, देवी, रुद्र और विष्णु — ये पांच देव सब कामों में पूजने योग्य हैं, जो आदर के साथ इनकी आराधना करते हैं वे कभी हीन नहीं होते, उनके यश - पुण्य और नाम सदैव रहते हैं।

वेद - पुराणों में पंचदेवों की उपासना को महाफलदायी और उसी तरह आवश्यक बतलाया गया है जैसे नित्य स्नान को। इनकी सेवा से 'परब्रह्म परमात्मा' की उपासना हो जाती है।

अन्य देवताओं की अपेक्षा इन पांच देवों की प्रधानता ही क्यों? अन्य देवों की अपेक्षा पंचदेवों की प्रधानता के दो कारण हैं—

1. पंचदेव पंचभूतों के अधिष्ठाता (स्वामी) हैं:- पंचदेव आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी — इन पंचभूतों के अधिपति हैं।

* सूर्य वायु तत्त्व के अधिपति हैं इसलिए उनकी अर्घ्य और नमस्कार द्वारा आराधना की जाती है,

* गणेश के जल तत्त्व के अधिपति होने के कारण उनकी सर्वप्रथम पूजा करने का विधान हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि में सर्वत्र 'जल' तत्त्व ही था,

* शक्ति (देवी, जगदम्बा) अग्नि तत्त्व की अधिपति हैं इसलिए भगवती देवी की अग्निकुण्ड में हवन के द्वारा पूजा करने का विधान हैं,

* शिव पृथ्वी तत्त्व के अधिपति हैं इसलिए उनकी शिवलिंग के रुप में पार्थिव-पूजा करने का विधान हैं,

* विष्णु आकाश तत्त्व के अधिपति हैं इसलिए उनकी शब्दों द्वारा स्तुति करने का विधान हैं।

2. अन्य देवों की अपेक्षा इन पंचदेवों के नाम के अर्थ ही ऐसे हैं कि जो इनके ब्रह्म होने के सूचक हैं:-

* विष्णु अर्थात्सबमें व्याप्त,

* शिव यानी कल्याणकारी,

* गणेश अर्थात्विश्व के सभी गणों के स्वामी,

* सूर्य अर्थात्सर्वगत (सभी जगह जाने वाले), शक्ति अर्थात् सामर्थ्य।

संसार में देवपूजा को स्थायी रखने के उद्देश्य से वेदव्यासजी ने विभिन्न देवताओं के लिए अलग - अलग पुराणों की रचना की। अपने - अपने पुराणों में इन देवताओं को सृष्टि को सृजन करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला अर्थात्ब्रह्म माना गया है। जैसे

* विष्णुपुराण में विष्णु को,

* शिवपुराण में शिव को,

* गणेशपुराण में गणेश को,

* सूर्यपुराण में सूर्य को और

* शक्तिपुराण में शक्ति को ब्रह्म माना गया है।

अतः मनुष्य अपनी रुचि अथवा भावना के अनुसार किसी भी देव को पूजे, उपासना एक ब्रह्म की ही होती है क्योंकि पंचदेव ब्रह्म के ही प्रतिरुप (साकार रूप) हैं।

उनकी उपासना या आराधना में ब्रह्म का ही ध्यान होता है और वही इष्टदेव में प्रविष्ट रहकर मनोवांछित फल देते हैं। वही एक परमात्मा अपनी विभूतियों में आप ही बैठा हुआ अपने को सबसे बड़ा कह रहा है वास्तव में न तो कोई देव बड़ा है और न कोई छोटा।

एक उपास्य देव ही करते लीला विविध अनन्त प्रकार।

पूजे जाते वे विभिन्न रूपों में निज-निज रुचि अनुसार।।(पद रत्नाकर)

पंचदेव और उनके उपासक

* विष्णु के उपासक 'वैष्णव' कहलाते हैं,

* शिव के उपासक 'शैव' के नाम से जाने जाते हैं,

* गणपति के उपासक 'गाणपत्य' कहलाते हैं,

* सूर्य के उपासक 'सौर' होते हैं, और

* शक्ति के उपासक 'शाक्त' कहलाते हैं।

इनमें शैव, वैष्णव और शाक्त विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं।

पंचदेवों के ही विभिन्न नाम और रूप हैं अन्य देवता:- शालग्राम, लक्ष्मीनारायण, सत्यनारायण, गोविन्ददेव, सिद्धिविनायक, हनुमान, भवानी, भैरव, शीतला, संतोषीमाता, वैष्णोदेवी, कामाख्या, अन्नपूर्णा आदि अन्य देवता इन्हीं पंचदेवों के रूपान्तर (विभिन्न रूप) और नामान्तर हैं।

पंचायतन में किस देवता को किस कोण (दिशा) में स्थापित करें?

पंचायतन विधि:- पंचदेवोपासना में पांच देव पूज्य हैं। पूजा की चौकी या सिंहासन पर अपने इष्टदेव को मध्य में स्थापित करके अन्य चार देव चार दिशाओं में स्थापित किए जाते हैं। इसे 'पंचायतन' कहते हैं।

शास्त्रों के अनुसार इन पाँच देवों की मूर्तियों को अपने इष्टदेव के अनुसार सिंहासन में स्थापित करने का भी एक निश्चित क्रम है। इसे 'पंचायतन विधि' कहते हैं। जैसे

*** विष्णु पंचायतन**

* जब विष्णु इष्ट हों तो मध्य में विष्णु, ईशान कोण में शिव, आग्नेय कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में सूर्य और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना होगी।

*** सूर्य पंचायतन**

* यदि सूर्य को इष्ट के रूप में मध्य में स्थापित किया जाए तो ईशान कोण में शिव, अग्नि कोण में गणेश, नैऋत्य कोण में विष्णु और वायव्य कोण में शक्ति की स्थापना होगी।

*** देवी पंचायतन**

* जब देवी भवानी इष्ट रूप में मध्य में हों तो ईशान कोण में विष्णु, आग्नेय कोण में शिव, नैऋत्य कोण में गणेश और वायव्य कोण में सूर्य रहेंगे।

*** शिव पंचायतन**

* जब शंकर इष्ट रूप में मध्य में हों तो ईशान कोण में विष्णु, आग्नेय कोण में सूर्य, नैऋत्य कोण में गणेश और वायव्य कोण में शक्ति का स्थान होगा।

*** गणेश पंचायतन**

* जब इष्ट रूप में मध्य में गणेश की स्थापना है तो ईशान कोण में विष्णु, आग्नेय कोण में शिव, नैऋत्य कोण में सूर्य तथा वायव्य कोण में शक्ति की पूजा होगी।

शास्त्रों के अनुसार यदि पंचायतन में देवों को अपने स्थान पर न रखकर अन्यत्र स्थापित कर दिया जाता है तो वह साधक के दुःख, शोक और भय का कारण बन सकता है।

देवता चाहे एक हो, अनेक हों, तीन हों या तैंतीस करोड़ हो, उपासना 'पंचदेवों' की ही प्रसिद्ध है। इन सबमें गणेश का पूजन अनिवार्य है। यदि अज्ञानवश गणेश का पूजन न किया जाए तो विघ्नराज गणेशजी उसकी पूजा का पूरा फल हर लेते हैं।

साधक का गुप्त धन है जप माला

पिंकी कुंडू

माला शब्द दो अक्षरों से बना है — मा + ला।

* 'मा' माने लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान;

* 'ला' माने जिसमें लीन रहे; इसलिए 'लक्ष्मी, प्रभा, शोभा और ज्ञान जिसमें लीन रहते हैं वह है माला।

साधना में जप माला बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जब जप अधिक संख्या में करना हो तो जप माला रखना अनिवार्य है।

भगवान का स्मरण और नाम-जप की गिनती करने के कारण साधक को इसे अपने प्राणों के समान प्रिय मानना चाहिए।

एक बार वृन्दावन में दो संतों में लड़ाई हो गयी, एक संत ने दूसरे के लिए कहा — 'इसने मेरा हीरा चुरा लिया है।' दूसरे ने कहा — 'इन्होंने मेरा पारस चुरा लिया है।' मामला अदालत में चला गया। दोनों ने अपनी - अपनी बात कही। जज ने पूछा — 'तुमको हीरा कहां से मिला?' पहले संत ने उत्तर दिया — 'हमको हमारे गुरु ने दिया था।' जज ने पूछा — 'कहां रखते थे?' संत ने ने कहा — 'अपने कण्ठ में बांध कर रखता था।' (तुलसी के मनके को वैष्णव संत 'हीरा' कहते हैं)

दूसरे संत से जज ने पूछा — 'तुमको पारस कहां से मिला जो इसने चुरा लिया?' (भगवान के प्रसाद को संत 'पारस' कहते हैं)। दूसरे संत ने उत्तर दिया — 'मुझको मन्दिर से रोज 'पारस' मिलता था, इसने बंद करा दिया।'

इस प्रकार संतों में भगवान का प्रसाद 'पारस' और माला 'मणि' मानी जाती है।

जप माला में मणि, मनिया या दाने पिरोये जाने के कारण इसे 'मणि माला' कहते हैं। पर आजकल लोग जप माला को लटकाये - लटकाये फिरते हैं, झूठे हाथों से छू लेते हैं या जेब में रख लेते हैं।

दूसरे की माला से जप क्यों नहीं करना चाहिए? व्यक्ति को अपनी जप माला अलग रखनी चाहिए। दूसरे की माला पर जप नहीं करना चाहिए। जप की माला पर जब एक ही मन्त्र जपा जाता है, तो उसमें उस देवता की प्राण-प्रतिष्ठा हो जाती है, माला चैतन्य हो जाती है। फिर उस माला पर एक ही मन्त्र का जप किया जाए तो धीरे-धीरे मन्त्र की चैतन्य शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश करने लगती है। तब वह माला साधक का कल्याण करने वाली हो जाती है इसलिए अपनी जप माला न किसी दूसरे को देनी चाहिए और न ही किसी दूसरे की माला पर जप करना चाहिए। लेना-देना तो क्या दूसरों को अपनी माला दिखानी भी नहीं चाहिए। माला की पवित्रता की जितनी रक्षा आप करेंगे, उतनी ही पवित्रता आपके जीवन में आयेगी।

जप माला के साथ न करें ये काम ?

* माला लोगों को दिखाने की चीज नहीं है बल्कि धन की भांति साधक को इसे गुप्त रखना चाहिए।

* माला की पवित्रता का साधक को पूरा ध्यान रखना चाहिए।

* जप माला को केवल जप की गिनती करने वाला साधन न समझ कर उसका पूरा आदर करना चाहिए।

* अशुद्ध अवस्था में उसे नहीं छूना चाहिए।

* बायें हाथ से जप माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

* माला को पैर तक लटका कर नहीं रखना चाहिए।

* माला को जहां कहीं भी ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। या तो उसे जपमाली में या किसी डिब्बी में रखकर शुद्ध स्थान पर रखें।

माला से जप करते समय रखें इन बातों का ध्यान ?

* जप के लिये माला को हृदय के सामने अनामिका अंगुली पर रखकर अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा अंगुली से फेरना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन न करें, तर्जनी अंगुली न लगावें। सुमेरु के पास से माला को घुमाकर दूसरी बार जपें,

*** जप करते समय माला ढकी हुई होनी चाहिए,**

* जब तक एक माला पूरी न हो, बीच में बोलना नहीं चाहिए, दूसरों की ओर देखना नहीं चाहिए, इशारे नहीं करना चाहिए,

* यदि जप करते समय किसी कारण बीच में उठना पड़े तो माला पूरी करके ही उठना चाहिए और दुबारा जप के लिए बैठना हो तो आचमन करके ही जप शुरु करना चाहिए।

विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार माला में भेद होता है ? जप माला अनेक वस्तुओं की होती है। जैसे —तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टा (पद्मबीज), स्फटिक, हल्दी, लाल चंदन, शंख, जीवपुत्रक, मोती, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चांदी और कुशमूल। इन सभी के मणियों (दानों) से माला तैयार की जाती है। इनमें

* वैष्णवों के लिए तुलसी और स्मार्त,

* शैव व शाक्तों के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गयी है।

मनुष्य की जितनी कामना होती हैं,

* उनके उतने ही मन्त्र होते हैं और उतने ही देवता, आजकल

* लोग एक ही माला पर सभी देवताओं के मन्त्र जप लेते हैं, यह माला की मर्यादा की अवहेलना है,

* विभिन्न देवताओं की अलग-अलग मालाएं होती हैं, जैसे —

* लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले मन्त्र कमलगट्टे की या लाल चंदन की माला पर

* विष्णु, श्रीकृष्ण या श्रीराम के मन्त्र तुलसी माला पर

* शंकर, हनुमान, दुर्गा आदि के मन्त्र रुद्राक्ष की माला पर

* मां बगलामुखी का जप हल्दी की माला पर आदि।

जपमाला बनाते समय रखें इन बातों का ध्यान ?:- माला बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज की माला में दूसरी चीज न लगायी जाए।

* माला के दाने छोटे-बड़े न हों,

* जपमाला में पूरे १०८ दाने होने चाहिए, कम या अधिक नहीं,

विभिन्न कामनाओं और देवताओं के अनुसार भी मालाओं में भेद होता है

* शान्तिकर्म में श्वेत,

* वशीकरण में लाल,

* अभिचार में कृष्ण और

* मोक्ष व ऐश्वर्य के लिए रेशमी सूत की माला अच्छी मानी जाती है।

शास्त्रों में वर्ण के अनुसार माला पिरोने के लिए सूत का रंग चुना जाता था, जैसे —

* ब्राह्मण के लिए सफेद रंग का सूत,

* क्षत्रिय के लिए लाल,

* वैश्य के लिए पीला और

* शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का सूत माला बनाने में प्रयोग करने का विधान है।

सोने के तार में भी माला पिरोयी जा सकती है:- जपमाला जिस किसी भी चीज से नहीं बनानी चाहिए और चाहे जिस किसी भी प्रकार से उसे गूंथ लेना भी वर्जित है।

दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना से जुड़ेंगी पैक्स : डीसी

केंद्रीय सहकारिता विभाग ने शुरू की दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 28 जनवरी। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने लघु सचिवालय में जिला सहकारिता विकास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पैक्स का सीधा किसानों से जुड़ाव है । पैक्स किसानों के लिए लोन , बीज, खाद आदि की व्यवस्था करती है ताकि अन्न उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार ने पैक्स के दायरे को बढ़ाते हुए किसानों के हित में अन्न भंडारण की चैन से जोड़ने का निर्णय लिया है। संयोजक सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जिला झज्जर बीरेंद्र सिंह ने बैठक में बताया कि जिला में 25 एमपैक्स हैं। एनसीडी पोर्टल पर इनका रिकॉर्ड निरंतर अपडेट किया जा रहा है। जिला में इसके अतिरिक्त 640 समितियां पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि जिला की 15 पैक्स ने राष्ट्रीय स्तर की समितियों की सदस्यता के लिए आवेदन किया हुआ है।

डीसी ने कहा कि सभी पैक्स को दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि झज्जर जिला दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभा सके। बैठक में संयोजक ने बताया कि अभी तक आठ पैक्स ने अन्न भंडारण योजना से जुड़ने की इच्छा प्रकट की है। सरकार के निर्देशानुसार इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीसी ने कहा कि एफसीआई से फिजिबिलिटी रिपोर्ट अनुमोदित करवाकर आगामी कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकरण के पास भेजें ताकि तय समय के अनुसार डीपीआर की कार्यवाही शुरू की जा सके।

डीसी ने कहा कि पैक्स से जुड़े कार्यक्रमों के बारे में निरंतर किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और लाभकारी योजनाओं में किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। सहकारिता के कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना चाहिए। बैठक में डीडीपीओ निशा तंवर, डॉ मनीष डबास उपनिदेशक पशुपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण, नेफेड, हेफेड, एफसीआई, केंद्रीय वेयरहाउसिंग सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सूर्य नमस्कार केवल एक योग अभ्यास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्म-अनुशासन का संपूर्ण माध्यम : एसडीएम

– बेरी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों ने किया योग क्रियाओं का अभ्यास

बेरी, (झज्जर) 28 जनवरी। आयुष विभाग तथा हरियाणा योग आयोग के संयुक्त तत्वावधान में सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। बुधवार को एसडीएम रेणुका नांदल के मार्गदर्शन में योगाचार्य गीता कादयान ने बेरी स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराया।

एसडीएम रेणुका नांदल ने बताया कि योग को जन-जन तक पहुंचाने और नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने के उद्देश्य से 12 फरवरी (महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती) तक एक माह का सूर्य नमस्कार अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य योग, विशेषकर सूर्य नमस्कार के वैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक लाभों के प्रति आमजन को जागरूक करना तथा उन्हें नियमित योग अभ्यास के लिए प्रेरित करना है।

वहीं योगाचार्य गीता कादयान ने स्कूली बच्चों को योग का अभ्यास कराते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार केवल एक योग अभ्यास नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्म-अनुशासन का संपूर्ण माध्यम है। यह रक्त संचार को बेहतर बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और तनाव कम करने में सहायक है। विद्यार्थी सूर्य नमस्कार को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर स्वस्थ और खुशहाल हरियाणा के निर्माण में सहभागिता निभाएं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चलाएगा जागरूकता अभियान: विशाल

साइबर अपराध,बाल श्रम,नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता व बाल विवाह पर रोक को लेकर 29 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा जागरूकता अभियान

झज्जर, 28 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एमडीडी ऑफ इंडिया एनजीओ, झज्जर के सहयोग से साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति अभियान तथा बाल विवाह मुक्ति रथ अभियान की शुरुआत 29 जनवरी से झज्जर स्थित लघु सचिवालय से की जाएगी। इस अभियान के तहत 12 फरवरी तक जिला के चिंहित गांवों में जागरूकता शिविरों के आयोजन का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बुधवार को यहां दी।

उन्होंने बताया कि इन जागरूकता शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों, विशेषकर युवाओं, महिलाओं एवं विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, नशे के दुष्परिणामों तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, संवाद एवं जागरूकता सामग्री के माध्यम से लोगों को सजग एवं सतर्क रहने का संदेश दिया जाएगा।

सीजेएम ने बताया कि 29 जनवरी को झज्जर लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय,सीजेएम कार्यालय,सीडब्लुसी,डीसीडब्लूओ,डीसीपीयू,मंदिरों व एमसी कार्यालय से इस अभियान की शुरूआत की जाएगी। 29 जनवरी को गांव बीड़ सुनारवाला में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मंदिर,ग्राम सचिवालय,बस स्टैंड,आंगनवाड़ी केंद्र,स्कूल,चौपाल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार 30 जनवरी को गांव बरहाना गुगनान,बहराना मिलवान,गांव भापडौदा,आसंडा,खरहर,लुहारी,31 जनवरी को गांव फोर्टपुरा,तामसपुरा,बीड़ छुछकवास, छुछकवास, मातनहेल को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विशाल ने बताया कि एक फरवरी को गांव रूडियावास, नौगांवा, सासरौली, सुंदरहेटी,अमादलशाहपुर,2 फरवरी को गांव बंबूलिया, कोयलपुर, खापड़वास, कन्हवा,कुंजैया,3 फरवरी को गांव जमालपुर, ढाणा,बिठला,भूरावास,4 फरवरी को गांव फतेहपुर, याकूबपुर, निमाणा, सौंधी, कुकडौला,मुनीमपुर,पेलपा गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5फरवरी को गांव मूंदसा,बिरहड़,लडायण,हमामपुर,अकेहड़ी मदनपुर ,6 फरवरी को गांव मांडोठी, रोहद, दहकोरा, कसार और जाखौदा,7 फरवरी को गांव कुलाना, पाटौदा, माछरौली और झज्जर में अभियान चलाया जाएगा। इसी प्रकार 8 फरवरी को गांव जसौर खेड़ी,खेड़ी जसौर,आसौदा सिवान और आसौदा टोडरान और बहादुरगढ़ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को गांव सिद्धिपुर,इस्सर खेड़ी और बहादुरगढ़,10 फरवरी को गांव डाबोधा कलां,टांडाहेड़ी,सराय औरंगाबाद और बहादुरगढ़ में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसी प्रकार 11 फरवरी को गांव मुंडाहेड़ा,बीर बरकताबाद सैनियान,बीर बरकताबाद जाटयान और बादली और 12 फरवरी को झज्जर व बादली में प्राधिकरण द्वारा चिन्हित स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अभियान समाज में विधिक जागरूकता बढ़ाने एवं सामाजिक बुराइयों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने सरकारी विभागों व विभिन्न संस्थाओं से अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग का आहवान किया है।

जिला व उपमंडल स्तर पर आज आयोजित होंगे समाधान शिविर

सुबह 10 से 12 बजे तक आमजन की समस्याओं की होगी सुनवाई

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 28 जनवरी। जिले में आमजन की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से (वीरवार 29 जनवरी) को जिला मुख्यालय सहित सभी उपमंडलों में समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये समाधान शिविर प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे।

जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय, झज्जर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल करेंगे। शिविर के दौरान उपायुक्त नागरिकों की विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतें एवं समस्याएं सुनेंगे तथा संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समयबद्ध समाधान के निर्देश देंगे।

इसी प्रकार उपमंडल स्तर पर समाधान शिविरों का आयोजन संबंधित लघु सचिवालय परिसरों में किया जाएगा। बहादुरगढ़ में एसडीएम अभिनव सिवाच, आईएएस, बेरी में एसडीएम रेणुका नांदल तथा बादली में एसडीएम डॉ. रमन गुप्ता की अध्यक्षता में समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि समाधान शिविर प्रशासन एवं नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में समाधान शिविर प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं गुरुवार को नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहते हैं, जिससे आमजन को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराया जा सके।

झज्जर एजूकेशन सोसायटी की 14 फरवरी को होने वाली बैठक स्थगित

नई तिथि रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी करेंगे घोषित

झज्जर, 28 जनवरी। झज्जर एजूकेशन सोसाइटी के एडहाक कमेटी के कार्यकारी सचिव ने बताया कि 14 फरवरी को चुनाव से संबंधित बुलाई जाने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया है। उक्त बैठक के स्थान पर अब सोसायटी के चुनाव से संबंधित बैठक की तिथि पुन निर्धारित की जाएगी। कार्यकारी सचिव ने बताया कि जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी झज्जर द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा एचआरआरएस -12 के नियमों के अनुसार औपचारिकता पूरी करते हुए पुनः चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। उन्होंने सोसायटी के सभी आजीवन सदस्यों से अनुरोध किया वे पुन निर्धारित की जाने वाली तिथि के अनुसार चुनाव से संबंधित होने वाली बैठक में सहभागी बनें।

जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक (30 जनवरी, शुक्रवार) को: सीटीएम

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे बैठक की अध्यक्षता

झज्जर, 28 जनवरी। जिले में नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र एवं स्थायी निपटान के उद्देश्य से गठित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक कल (30 जनवरी, शुक्रवार) को लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित की जाएगी। बैठक प्रातः दस बजे आरंभ होगी, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा करेंगे। सीटीएम नमिता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक परिवाद पर आवश्यक विचार-विमर्श करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सीटीएम ने कहा कि लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठकें जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच हैं, जो शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भावना को सुदृढ़ करती हैं।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

झज्जर, 28 जनवरी। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु, टपरीवास, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय चार लाख रुपये से अधिक न हो। इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट 222.ह्यडुह्म्डुद्यद्धडुह्म्4डुठ्ठडु.द्दश1.द्बठ्ठ पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधूरे अथवा अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः ऐसे आवेदक अपने आवेदन पत्रों को शीघ्र पूर्ण कागजात सहित पोर्टल पर अपडेट करें। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी, झज्जर के कार्यालय से दूरभाष नंबर 01251-254779 पर संपर्क किया जा सकता है।

गांव रणखंडा में जिला स्तरीय किसान जागरूकता कैम्प 30 को

झज्जर, 28 जनवरी। बागवानी विभाग द्वारा 30 जनवरी को गांव रणखंडा में जिला स्तरीय किसान जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का उद्देश्य किसानों को बागवानी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है, ताकि किसान इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकें। यह जानकारी जिला बागवानी अधिकारी डा राजेंद्र ड्क्षसह ने दी। उन्होंने बताया कि कैम्प में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे तथा किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे और सुझाव देंगे।

एसडीएम सिवाच ने किया लघु सचिवालय परिसर का निरीक्षण

बिना अनुमति के बैठे टाइपिस्ट को अनुमति लेने के दिए निर्देश

नॉन पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों के चालान करने के दिए आदेश

बहादुरगढ़, 28 जनवरी। एसडीएम अभिनव सिवाच ने बुधवार को उपमंडल लघु सचिवालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपमंडल परिसर में बैठने वालों टाइपिस्टों के अनुमति पत्र चेक किए । कुछ के अनुमति पत्र मिले किंतु उनका नवीनीकरण नहीं पाया गया । एसडीएम ने कहा अपना अनुमति पत्र जल्द से जल्द नवीनीकरण करवाए अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस उपरांत एसडीएम ने यातायात पुलिस प्रभारी को बुलाया और परिसर के नॉन पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों का चालान करने के निर्देश दिए। ट्रैफिक इंस्पैक्टर सतीश कुमार की टीम ने तीस वाहनों के चालान किए। एसडीएम ने कहा कि यातायात पुलिस आगे भी चेक करती रहेगी ताकि आमजन को आने-जाने को दिक्कत न हो। इस मौके पर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, मौजूद रहे।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ फॉर्मर आईडी से मिलेगा : डीसी

डीसी ने डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

जिलाभर में अब तक 49 हजार 881 किसानों की बन चुकी फार्मर आईडी

परिवहन विशेष न्यूज

झज्जर, 28 जनवरी। उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों और फील्ड में कार्यरत टीमों को कार्य में और अधिक तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एग्री स्टैक आईडी अभियान मिशन मोड में चलाया जा रहा है और सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना अनिवार्य है।

डीसी ने कहा कि प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि भविष्य में किसानों को मिलने वाली सभी कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का आधार यही आईडी होगी। बिना फार्मर आईडी के किसान योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र किसान छूटने न पाए।

उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 49 हजार 881 किसानों की डिजिटल एग्री स्टैक फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। ब्लॉकवार प्रगति की जानकारी देते हुए डीसी ने बताया कि बहादुरगढ़ ब्लॉक में 12 हजार 258, झज्जर ब्लॉक में 10 हजार 992, बेरी में 8 हजार 659, मातनहेल में 8 हजार 440, बादली में 5 हजार 641 तथा साल्हावास ब्लॉक में 3 हजार 891 किसानों की आईडी तैयार की जा चुकी है।

डीसी पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव-गांव जाकर विशेष कैंप लगाकर किसानों को फार्मर आईडी के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और मौके पर ही आईडी जनरेट की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए, ताकि कार्य की गति प्रभावित न हो।

जनहित जनकल्याण जनसूचना

पिंकी कुंडू। दिल्ली में अमेज़न वेयरहाउस पर छापेमारी में नकली घरेलू उपकरण बरामद हुए। लगभग 1 करोड़ के गीजर और मिक्सर जब्त किए गए। सावधान रहिए! इतने बड़े अमेज़न ब्रांड भी नकली सामान बेच रहे हैं।

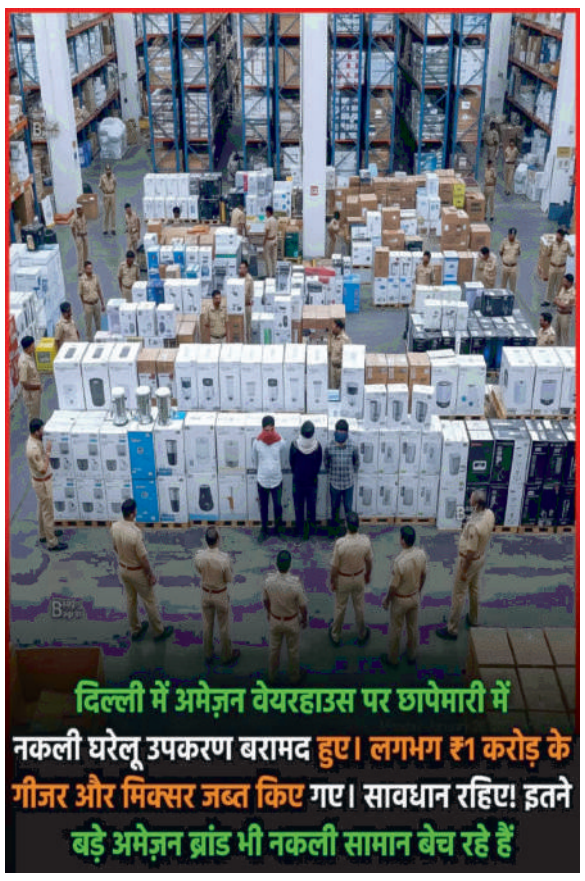

जनहित जनकल्याण जनसूचना

पिंकी कुंडू। संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22 (1) के तहत राज्य हर पात्र नागरिक को समान अवसर और मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए बाध्य है। NALSA के LSMS पोर्टल (https://scourtapp.nic.in/lsams/) के माध्यम से अब कानूनी सहायता के लिए आवेदन करना और उसे ट्रैक करना और भी आसान हो गया है। NALSA इसी संवैधानिक वादे को निभाते हुए न्याय की सुलभता सुनिश्चित कर रहा है।

जनहित जनकल्याण जनसूचना

पिंकी कुंडू। तालुकों और जिला से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, NALSA का नेटवर्क हर भारतीय को कानूनी सहायता से जोड़ता है। चाहे आप कहीं भी हों, जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी मदद के लिए तैयार हैं। स्थानीय स्तर पर इन प्राधिकरण/समितियों की उपस्थिति से आम आदमी के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना बहुत सरल और सुगम हो गया है।

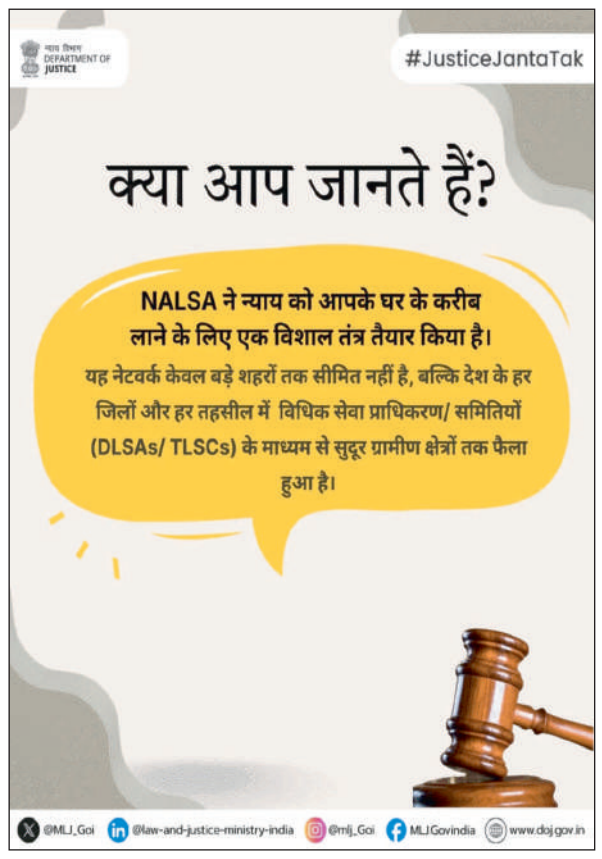

अब जनता तय करेगी बजट की दिशा! हरियाणा सरकार ने शुरू किया जन परामर्श

संगिनी घोष

हरियाणा सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट के लिए जनता से सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे 31 जनवरी तक अपने विचार और प्रस्ताव भेज सकते हैं। इस पहल को बजट प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार सरकार चाहती है कि बजट केवल प्रशासनिक स्तर पर तैयार न होकर आम जनता की जरूरतों और प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखे। इसी उद्देश्य से छात्रों, किसानों, पेशेवरों, सामाजिक संगठनों और उद्योग जगत से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव

सरकार का कहना है कि जनता से मिलने वाले सुझाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला कल्याण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बेहतर योजनाएं बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे यह समझने में भी सहायता मिलेगी कि नागरिक किन मुद्दों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं।

सुझाव ऑनलाइन माध्यमों के साथ-साथ प्रशासनिक चैनलों के जरिए भी भेजे जा सकते हैं, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें।

मुख्य बिंदु

1. बजट तैयारीः हरियाणा बजट 2026-27 पर काम शुरू।

2. जन परामर्श प्रक्रियाः नागरिकों से सुझाव आमंत्रित।

3. अंतिम तिथिः 31 जनवरी तक प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।

4. उद्देश्यः बजट को अधिक सहभागी और समावेशी बनाना।

5. फोकस क्षेत्रः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर।

6. सरकार की मंशाः नीति निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी।

यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की प्रक्रिया से सरकारी खर्च अधिक प्रभावी बन सकता है क्योंकि योजनाएं लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार तैयार होती हैं। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है और नागरिकों को शासन में भागीदारी का अनुभव होता है।

हरियाणा सरकार ने कहा है कि प्राप्त

सुझावों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी और उपयुक्त प्रस्तावों को अंतिम बजट में शामिल किया जा सकता है।

आगे की राह

यह पहल दर्शाती है कि राज्य सरकारें अब बजट प्रक्रिया को अधिक खुला और नागरिक-केंद्रित बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना होगा कि जनता की राय आगामी बजट घोषणाओं में किस तरह दिखाई देती है।

डिजिटल मेटा डिस्क्रिप्शन (SEO):

हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 के लिए 31 जनवरी तक जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। यह पहल बजट को अधिक समावेशी और नागरिकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास है।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाजसेवी, 92 वर्षीय रमेश चंद्र गर्ग की आत्मकथा " मेरा सफर, मेरा सुकून" के 2 खंडों का हुआ लोकार्पण

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। 30 बसंतर मार्ग (मथुरा कैंट) पर सैनानी परिवार संगठन के तत्वावधान में प्रख्यात कांग्रेसी नेता, समाजसेवी व 92 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चंद्र गर्ग की आत्मकथा ₹ मेरा सफर, मेरा सुकून₹ के 2 खंडों का लोकार्पण अत्यंत धूमधाम व गर्म जोशी के साथ सम्पन्न हुआ।लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता प्रमुख कांग्रेसी नेता व सैनानी परिवार संगठन के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी ने की।ग्रन्थ के सम्पादक डॉ. भागवत कृष्ण नांगिया (हरिनाम प्रेस, वृन्दावन) ने आत्मकथा के लेखक रमेश चंद्र गर्ग (बाबूजी) की जीवन यात्रा व ग्रन्थ के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी।

ग्रन्थ द्वय का लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी, मुख्य अतिथि रवीन्द्र मुकद्दम, विशिष्ट अतिथि विश्वनाथ पंडा, पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया, प्रख्यात साहित्यकार ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर व प्रमुख कांग्रेसी नेता महेश पाठक आदि ने किया।

समारोह के अध्यक्ष अशोक चतुर्वेदी व मुख्य अतिथि रवीन्द्र मुकद्दम ने कहा

कि रमेश चंद्र गर्ग सहजता,सरलता व परोपकारिता आदि की प्रतिमूर्ति हैं।समाजसेवा के क्षेत्र में उनके एक नहीं अपितु अनेकों कीर्तिमान हैं।

पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया व प्रख्यात साहित्यकार ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि रमेश चंद्र गर्ग गांधी वादी विचारधारा के हैं।फिर भी उनके अन्य विचारधारा व विभिन्न सोचों के व्यक्तियों से भी निकट के सम्बन्ध हैं।जो कि उनकी एक प्रमुख विशेषता है।उनका प्रारंभ से ही एक ईश्वर, एक धर्म व एक जाति में विश्वास है।

पूर्व विधायक प्रदीप माथुर व प्रमुख कांग्रेसी नेता महेश पाठक ने कहा कि रमेश चंद्र गर्ग अपनी 92 वर्ष की आयु में भी युवाओं जैसे उत्साह के साथ अपने कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं।वस्तुतः वे एक ऐसे महापुरुष हैं,जैसे कि आज कल प्रायः नहीं मिलते।हमारा विश्वास है कि उनकी आत्म कथा ₹मेरा सफर, मेरा सुकून₹को पढ़ने से असंख्य व्यक्तियों को प्रेरणा व ऊर्जा प्राप्त होगी।

इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता उमाकांत चतुर्वेदी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुन्दर उपाध्याय, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, नरेन्द्र सिंह, रवि सरीन, तुलसी स्वामी, वरिष्ठ पत्रकार मुरारी लाल अग्रवाल, सीए अभिषेक गर्ग, एडवोकेट पारस गर्ग, जगवीर सिंह, मास्टर प्रताप, दिनेश पाठक, डॉ. राधाकांत शर्मा, सुरेन्द्र चतुर्वेदी (एमपी निवास, वृन्दावन), मोहन सिंह चौधरी आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंतर्गत बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों, गोवर्धन स्थित विभिन्न मन्दिरों के सेवायतों, नंदगांव स्थित नन्दराय मन्दिर के सेवायतों आदि ने रमेश चंद्र गर्ग को अंगवस्त्र व ठाकुरजी का पटुका-प्रसादी-माला आदि भेंट करके उनका सम्मान किया।इसके अलावा तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने रमेश चंद्र गर्ग का सम्मान व अभिनंदन कर प्रभु से उनके चिरायु जीवन की मंगल कामना की।समारोह का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता व कवि राम सरीन ने किया।समारोह का समापन स्वरूचिपूर्ण भोज के साथ सम्पन्न हुआ।

कई धार्मिक और समाजसेवी संस्थाओं व संगठनों के द्वारा सम्मानित हुए पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री व मीरा शास्त्री

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन।गांधी मार्ग स्थित श्रीनाथ धाम में नगर की प्रमुख धार्मिक और समाजसेवी संस्थाओं व संगठनों के द्वारा प्रख्यात अध्यात्मविद् व श्रीमद्भागवत के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध प्रवक्ता, पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री एवं श्रीमती मीरा शास्त्री का उनके द्वारा धर्म-अध्यात्म के क्षेत्र में दी गई अविस्मरणीय सेवाओं के लिए सम्मान व अभिनंदन किया गया।जिसमें विभिन्न स्थानों से आए विशिष्ठ व्यक्तियों ने उन्हें सम्मानित कर प्रभु से उनके उज्जवल भविष्य व दीर्घ जीवन की मंगल कामना की।

श्रीनाभापीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी सुतीक्ष्णदास देवाचार्य महाराज एवं श्रीमहंत अमरदास महाराज ने कहा कि पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री की धर्म के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान हैं।उनके द्वारा निर्धन विद्यार्थियों को श्रीमद्भागवत, रामायण व भगवद्गीता आदि धर्म ग्रंथों की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।साथ समाजसेवा के विभिन्न सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं।

मथुरा-वृन्दावन नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल व पद्मश्री कृष्ण कन्हाई चित्रकार ने कहा कि पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री धर्म व अध्यात्म जगत की बहुमूल्य धरोहर हैं।उन्होंने अल्प आयु में ही कई धर्म ग्रंथो का अध्ययन कर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है।जो कि अविस्मरणीय है।

प्रख्यात साहित्यकार ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी एवं

याज्ञिक रत्न आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने कहा कि पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने श्रीमद्भागवत महापुराण, श्रीमद्रामायण, शिव महापुराण एवं श्रीमद्देवीभागवत आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से देश-विदेश के असंख्य व्यक्तियों को धर्म के मार्ग से जोड़ने का कार्य जो अभूतपूर्व कार्य किया है, वो अति प्रशंसनीय है।

श्रीराम कथा मर्मज्ञ अशोक व्यास महाराज एवं पण्डित आर.एन. द्विवेदी उर्फ राजू भैया ने कहा कि डॉ. मनोज मोहन शास्त्री की देश,समाज व अध्यात्म जगत के लिए अनेकों देनें हैं।उनका व्यक्तित्व व कृतित्व नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा व ऊर्जा का श्रोत है।क्योंकि वे प्रत्येक क्षण धर्म, अध्यात्म व समाजसेवा के क्षेत्र में पूरे उत्साह व समर्पण के साथ तत्पर रहते हैं।

इस अवसर पर बागेश्वर धाम सरकार के परम् लाडले रोहित रिछारिया, ब्राह्मण महासभा के संरक्षक पंडित सुरेशचंद्र शर्मा, अध्यक्ष पंडित महेश भारद्वाज, भागवताचार्य मृदुलकांत शास्त्री, प्रख्यात भजन गायक बनवारी महाराज, रासाचार्य स्वामी हरिवल्लभ शर्मा (छोटे ठाकुर), रासाचार्य स्वामी अवधेश शर्मा, तुलसी स्वामी, पण्डित सौरभ गौड़, पण्डित श्याम सुन्दर ब्रजवासी, वैष्णवाचार्य धीरज बावरा, डॉ. राधाकांत शर्मा, आचार्य सुमंत कृष्ण महाराज, पद्मनाभ शास्त्री, आचार्य घनश्याम दुबे, प्रमुख भाजपा नेता पण्डित विनीत शर्मा, बांके बिहारी मंदिर के सेवायत दिनेश गोस्वामी, मुरारी स्वामी, आचार्य जुगल महाराज, आचार्य जगदीश चन्द्र शास्त्री, पण्डित हरिहर मुद्गल, स्वामी निवासाचार्य महाराज, आचार्य बुद्धिप्रकाश शास्त्री, आचार्य शिवांश भाई मिश्र, पण्डित सुधीर शुक्ला आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।कार्यक्रम का समापन सन्त, वैष्णव, ब्रजवासी सेवा एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ।जिसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

77वें गणतंत्र दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर संजीव कुमार सिंह का गंभीर चिंतन

सामाजिक न्याय, समानता, जातिगत भेदभाव और वंचित वर्गों के बकील भाई बहनों के सम्मान एवं अधिकारों के उठाए अहम सवाल

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्वतंत्रता के 77वर्षों बाद भी भारत समाज में व्याप्त ऊँच-नीच, जातिगत घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाया है?

उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अब सत्ता पक्ष, विपक्ष अथवा कोई भी जातिवादी सोच हमारे 85 प्रतिशत गरीब, कमजोर और असहाय भाई बहनों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती।

उन्होंने न्यायहित में यह मांग की कि देश की लगभग 85 प्रतिशत पिछड़ी, अनुसूचित एवं कमजोर आबादी को देखते हुए उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कड़े और प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि आज़ाद भारत में प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि देशहित और न्यायहित में पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं कमजोर पृष्ठभूमि के वकील भाई-बहनों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों पर खुलकर चर्चा हो और ठोस कदम उठाए जाएँ और देश में व्याप्त इस जातिबाद को खत्म करने के लिए नये कड़े से कड़े नियम क़ानून बनाएं जाएं।

नई दिल्ली, संजय सिंह। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने देश में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव जैसी गहरी चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या स्वतंत्रता के 77 वर्षों बाद भी भारत समाज में व्याप्त ऊँच-नीच, जातिगत घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाया है?

ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने विशेष रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, दलित, महिला एवं कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले वकीलों के सामाजिक सम्मान, समानता, न्याय और अधिकारों को लेकर गहन चिंतन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अब सत्ता पक्ष, विपक्ष अथवा कोई भी जातिवादी सोच हमारे 85 प्रतिशत गरीब, कमजोर और असहाय नागरिकों के अधिकारों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती।

उन्होंने न्यायहित में यह मांग की कि देश की लगभग 85 प्रतिशत पिछड़ी, अनुसूचित एवं कमजोर आबादी को देखते हुए उनके संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कड़े और प्रभावी कानून बनाए जाने चाहिए, ताकि आज़ाद भारत में प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

वकालत के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव पर चिंता

श्री सिंह ने कहा कि देश में पिछड़े और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े वकीलों की संख्या कई करोड़ों में मानी जाती है, इसके बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नवोदित वकीलों को वकालत सीखने के लिए तथाकथित उच्च जाति के वकीलों पर निर्भर होना पड़ता है, जहां कई बार उन्हें जातिगत अहंकार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वकील भाईचारे के नाम पर कई बार इन नवोदित वकीलों को संवैधानिक अधिकारों और अनुसूचित जाति समाज के लिए बने कानूनों के विरुद्ध मानसिक रूप से गुमराह किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बार एसोसिएशन के चुनावों में भी पिछड़े और कमजोर वर्ग के वकीलों को नेतृत्वकारी पदों से दूर रखा जाता है, जबकि उनके मतों का उपयोग किया जाता है, लेकिन तथाकथित उच्च जातियों के वकीलों का समर्थन कभी नहीं मिलता और जो समर्थन देना चाहता हैं उससे भी यह कहकर मना कर दिया जाता हैं कि दलित पिछड़ा वर्ग सम्मान के लायक नहीं।

बड़ा सवाल - क्या दलित पिछड़ा वर्ग सम्मान के लायक नहीं?

अब समय तैजी से बदल रहा हैं तो यह स्थिति भी तैजी से बदलनी भी बहुत आवश्यक है। आजतक कई आस पास के कई राज्यों में जैसे पंजाब एवं हरियाणा में बार काउंसिल में ग़रीब कमजोर पिछड़े वर्ग के हमारे बकील भाई बहन में से कोई भी वकील निर्वाचित होकर नहीं पहुँचा है। यह प्रतिनिधित्व का गंभीर अभाव है, जिसे दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

प्रतिनिधित्व का गंभीर अभाव

ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में अब तक बार काउंसिल में पिछड़े, दलित और कमजोर वर्ग के वकीलों का प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा है, जो न्यायिक व्यवस्था में एक गंभीर असंतुलन को दर्शाता है। उन्होंने इसे लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की भावना के विरुद्ध बताया।

न्यायहित में उनकी प्रमुख मांगें

उन्होंने देश के दलित, पिछड़े, महिला एवं कमजोर पृष्ठभूमि के वकीलों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत कीं, जिनमें प्रमुख रूप से -

नए वकीलों के लिए NALSA, State एवं District Legal Services Authority के माध्यम से एक वर्ष की निःशुल्क ट्रेनिंग

पहले पाँच वर्षों तक ₹10,000 प्रतिमाह स्टाइपेंड

SCC, Manupatra, LiveLaw जैसी कानूनी सेवाएँ निःशुल्क

बार एसोसिएशन चुनावों में रोस्टर प्रणाली एवं प्रधान-सचिव पदों पर आरक्षण

न्यायालय परिसरों में सम्मानजनक चैंबर व सुविधाएँ

डिजिटल लाइब्रेरी, ई-फाइलिंग सहायता केंद्र

महिला वकीलों के लिए सेफ स्पेस, क्रेच एवं स्वतंत्र शिकायत तंत्र

स्टार्ट-अप लॉ फंड, ब्याज मुक्त ऋण

सरकारी पैनलों में आरक्षण व प्राथमिकता

स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा एवं मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ

बार काउंसिल में एंटी-डिसक्रिमिनेशन सेल की स्थापना

जातिगत अपमान पर त्वरित कार्रवाई व कठोर दंड

स्वतंत्रता तभी पूर्ण जब समानता हो

अपने संबोधन के अंत में ठाकुर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण से नहीं जुड़ता, और जब तक देश की बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति, ऊँच-नीच और भेदभाव की संकीर्ण सोच में कोई वास्तविक आज़ादी नहीं हो सकती। सच्ची स्वतंत्रता समानता, समता, सकारात्मक सोच और न्याय आधारित समाज की स्थापना में निहित है।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि देशहित और न्यायहित में पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं कमजोर पृष्ठभूमि के वकील भाई-बहनों के कल्याण, सम्मान और अधिकारों पर खुलकर चर्चा हो और ठोस कदम उठाए जाएँ और देश में व्याप्त इस जातिबाद को खत्म करने के लिए नये कड़े से कड़े नियम क़ानून बनाएं जाएं।

लेखनी जो सत्य से संवाद करती है: डॉ. शंभु पंवार का कस्बे से वैश्विक मंच तक का सफर

डॉ.गीतांजलि नीरज अरोड़ा

जब समय के शोर में भी कोई कलम सत्य की आवाज़ बनकर खड़ी रहे, जब पत्रकारिता सत्ता का मुखपत्र नहीं, बल्कि समाज का प्रहरी बने, और जब एक साधारण कस्बे से निकली लेखनी चार दशकों तक निरंतर निर्भीक, निष्पक्ष और मानवीय सरोकारों से जुड़ी रहे—तब उस यात्रा को केवल व्यक्ति-विशेष की उपलब्धि नहीं, बल्कि लोकचेतना की विजय कहा जाता है। डॉ. शंभु पंवार इसी लोकचेतना का सशक्त स्वर हैं।

उनकी लेखनी न तो किसी विचारधारा की दास रही, न किसी सत्ता की अनुगामिनी—वह सदैव सत्य, संवेदना और सामाजिक न्याय के पक्ष में खड़ी रही है। चिड़ावा जैसे छोटे कस्बे की सोंधी मिट्टी में पले-बढ़े डॉ. पंवार ने पत्रकारिता की दुनिया में वह मुकाम हासिल किया, जहाँ पहुँचने के लिए न केवल प्रतिभा, बल्कि साहस, नैतिक दृढ़ता और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता होती है।

डॉ. शंभु पंवार ने 1984 में पत्रकारिता सफर प्रारंभ हुआ।उनका यह सफर आज चार दशकों से अधिक समय का इतिहास बन चुका है—ऐसा इतिहास जिसमें न समझौता है, न ठहराव। कस्बाई सीमाओं से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली और वहाँ से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँचना उनके लिए केवल भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि विचारों, मूल्यों और उत्तरदायित्व की यात्रा थी।उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची पत्रकारिता संसाधनों की मोहताज नहीं होती—उसका सबसे बड़ा संसाधन ईमानदार कलम और निर्भीक मन होता है।डॉ. पंवार की लेखनी में सामाजिक पीड़ा की टीस भी है, व्यवस्था से सवाल करने का साहस भी और समाधान की संवेदनशील दृष्टि भी। उन्होंने खबर को सनसनी नहीं बनने दिया और विचार को प्रचार नहीं बनने दिया। यही कारण है कि उनकी पहचान केवल पत्रकार या लेखक के रूप में नहीं, बल्कि समाज के सजग प्रहरी और लोकमंगल के साधक के रूप में स्थापित हुई है। मेरा यह लेख उनके जन्मदिन पर डॉ. शंभु पंवार के जीवन, संघर्ष, साहित्यिक साधना और सामाजिक सेवा के इसी चार दशक लंबे सफर का दस्तावेज़ है—जो बताता है कि जब लेखनी निष्पक्ष हो, दृष्टि मानवीय हो और उद्देश्य लोककल्याण का हो, तब एक व्यक्ति भी समाज की दिशा बदल सकता है।वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ,अंतरराष्ट्रीय लेखक, पत्रकार, विचारक एवं सामाजसेवी डॉ. शंभु पंवार का जन्मदिन 30 जनवरी को देश-विदेश में उनके सहयोगियों, पाठकों, साहित्यकारों और सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मान और आत्मीयता के साथ मनाया जाएगा।

संस्कारों की भूमि से वैश्विक मंच तक

राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा नगर में 30 जनवरी 1967 को जन्मे डॉ. पंवार के व्यक्तित्व की जड़ें ग्रामीण संस्कारों, सादगी और सेवा भावना में गहराई से रची-बसी हैं। उनके पिता स्व. श्री नत्थूराम पंवार से प्राप्त जीवन-मूल्यों ने उन्हें कर्म, करुणा और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया।कस्बे से देश की राजधानी दिल्ली में अपनी कलम को ओर निरंतर रहे है। किंतु उनका हृदय आज भी वीर धरा चिड़ावा की सोंधी मिट्टी, उसके लोगों और उसकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है।

पत्रकारिता : एक साधना

डॉ. शंभु पंवार ने वर्ष 1984 में पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके लिए पत्रकारिता कभी केवल पेशा नहीं रही, बल्कि यह समाज के प्रति उत्तरदायित्व की साधना रही।

देश के 16 राज्यों तथा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जापान की A से Z तक के प्रतिष्ठित हिंदी और अंग्रेज़ी पत्र पत्रिकाओं में लेखन—समाचार, लेख, साक्षात्कार और रचनाओं के प्रकाशन का ऐतिहासिक कीर्तिमान दर्शाया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए उन्हें 23 जून 2024 को दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में दर्शाया बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया।उनके नाम कुल चार वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, जो उनकी निरंतर सृजनशीलता और वैश्विक प्रभाव को प्रमाणित करते हैं।

साहित्य और सृजन

डॉ. पंवार की लेखनी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है। अब तक उनके पाँच साझा काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जबकि एक एकल काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन है। इनकी रचनाएँ केवल पढ़ी नहीं जातीं, बल्कि पाठकों के मन में प्रश्न और उत्तर दोनों जगाती हैं।

सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व

डॉ. शंभु पंवार को मानवता और वैश्विक शांति के लिए डी.लिट् (मानद) उपाधि सहित

२६ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानद डॉक्टरेट उपाधियाँ, दो बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लोक मंगल विभूषण अंतरराष्ट्रीय सम्मान,इंटरनेशनल जर्नलिज्म ग्राइड अवॉर्ड, शार्क इंटरनेशनल ग्राइड अवॉर्ड,पेन ऑफ कॉन्सियश अवार्ड,गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान सहित 500 से अधिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके है, परंतु वे स्वयं इन सम्मानों को अलंकरण नहीं, बल्कि अधिक जिम्मेदारी मानते हैं।

संगठन, नेतृत्व और वैश्विक भूमिका

सर्व धर्म सद्भाव के लिए राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही प्रतिष्ठित संस्था धराधाम इंटरनेशनल के धरा गवर्नर,सलाहकार गीतांजलि काव्य प्रसार मंच, कथा कुंज साहित्य परिषद, एवं काव्य प्रेमी मंच तंजानिया,अखिल भारतीय जर्नलिस्ट एवं मास मीडिया फेडरेशन के संरक्षक, संत गाडगे विश्व कल्याण सिद्धपीठ हरिद्वार के आजीवन संरक्षक हैं।राष्ट्रीय महिला व बाल विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय सचिव,गांधी पीस फाउंडेशन (नेपाल) के पूर्व इंटरनेशनल एम्बेसडर, डायनामिक पीस रेस्क्यू मिशन इंटरनेशनल (नाइजीरिया) के पूर्व ग्लोबल एम्बेसडर और विश्व संवाद परिषद के पूर्व एम्बेसडर रह चुके हैं।

नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकार

नारी सशक्तिकरण डॉ. पंवार के कार्यों का केंद्रीय विषय रहा है। वे वेबिनार, गोष्ठियों और लेखों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते रहे हैं। इसके साथ ही बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग कल्याण, गौ-संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण और सत्कारिता जैसे क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

सेवा जो प्रेरणा बने

डॉ. पंवार एक समर्पित गो-सेवक हैं। वे अपने माता-पिता की पुण्यतिथि तथा स्वयं व अपने बच्चों के जन्मदिन पर गोशाला में गौमाताओं आहार अर्पित कर जन्मदिन मनाते हैं—जिससे समाज में सेवा की नई परंपरा को बल मिला है। युवा परवाड़ा (2004) के दौरान चिड़ावा में बालिकाओं की शिक्षा-स्थिति देखकर उनके प्रयासों से स्व.अजीत अडूकिया राजा द्वारा एक भव्य विद्यालय भवन का निर्माण संभव हुआ—जो आज भी उनकी सामाजिक संवेदना का जीवंत प्रमाण है। कोरोना महामारी के कठिन काल में श्री विवेकानंद मित्र परिषद के संरक्षक के रूप में संस्था द्वारा "नर सेवा नारायण सेवा" प्रकल्प के तहत 51 दिनों तक प्रतिदिन 500 भोजन पैकेट प्रवासी कामगारों और जरूरतमंदों तक पहुँचाकर मानवता की मिसाल कायम की।

गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय गौरव

प्रसार भारती, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले विश्व के सबसे बड़े 70वें राष्ट्रीय सर्व भाषा कवि सम्मेलन—2026 में संविधान की आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं के प्रतिष्ठित कवियों के साथ सिंधी भाषा के अनुवादक कवि के रूप में डॉ. शंभु पंवार सहभागी रहे। डॉ.पंवार झुंझुनूं जिले के ही नहीं सम्भवतः शेखावाटी के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में चयनित हुए है।

यह सम्मेलन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारित होता है।

दिल्ली में रहेगी रिमझिम बारिश

पिंकी कुंडू

मौसम विभाग की मानें तो 30 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और मौसम फिर खराब होगा।

दिल्ली में कब - कब बारिश होने की संभावना, जाने ? दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को कई स्थानों पर बारिश हुई। कुछ जगहों से ओले गिरने की भी खबरें आईं। बारिश और ओला गिरने के बाद गलन बढ़ने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग ने 30 जनवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर दस्तक देने की संभावना जताई है। इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी मौसम बदल जाएगा।

मौसम विभाग ने 29 जनवरी यानी गुरुवार को दिल्ली के साथ ही

एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है। दिन में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं। दिल्ली में गुरुवार को सर्द हवाएं भी चलेंगी। हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने 30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की चेतावनी दी है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर में बादल नजर आने का अनुमान जताया है। इस दिन दिल्ली में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सर्द हवाएं चलने की संभावना जताई है। 30 जनवरी को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने 31 जनवरी को भी दिल्ली में बादल छाने की संभावना जताई है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में रात के वक्त गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। रात को बारिश के दौरान तेज हवाएं चलेंगी। हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। इस दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है।

दिल्ली के मौसम की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर भी पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

https://mausam.imd.gov.in/newdelhi/mcdata/delhi_forecast.pdf

यूजीसी के नए समानता विनियम 2026

(''सामाजिक न्याय के नाम पर बनाए जाने वाले कानूनों नियमों में संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना का पालन करना जरूरी'')

सामाजिक न्याय बनाम संवैधानिक संतुलन - एक समग्र, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

संजय कुमार बाठला

''यदि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो यह नियम सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक विभाजन का कारण बन सकते हैं?''

दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दिनांक 28 जनवरी 2026 को संसद के बजट सत्र के प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदनों को संबोधित करते हुए कहा 2014 की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पा रही थीं। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है, तो दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए सवर्णों का आंदोलन छिड़ा हुआ है।

हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत का उच्च शिक्षा तंत्र केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का संवाहक भी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस पूरे ढांचे का नियामक स्तंभ है, जिसके नियम देश के लाखों छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित और 15 जनवरी से प्रभावी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026 इसी परंपरा का हिस्सा हैं।

इन नियमों का घोषित उद्देश्य एससी, एसटी और अब पहली बार ओबीसी समुदायों के छात्रों व शिक्षकों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है।

उद्देश्य निस्संदेह संवैधानिक है, किंतु जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, उन्होंने पूरे देश में गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है।

इन नियमों के लागू होते ही बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में सवर्ण समाज के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

विरोध का कारण आरक्षण नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में असमानता और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान का पूर्ण अभाव है।

आलोचकों का कहना है कि यह नियम सामाजिक न्याय के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना को कमजोर करते हैं।

यूजीसी का अधिकार क्षेत्र और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी यूजीसी जिसे अंग्रेज़ी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है, देश की उच्चशिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय नियामक निकाय है।

12वीं के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या शोध, हर स्तर पर छात्र - छात्राएं किसी न किसी रूप में यूजीसी के नियमों के अधीन आते हैं।

यूजीसी का दायित्व केवल फंडिंग या मान्यता देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शिक्षा प्रणाली संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समानता और मानव गरिमा के अनुरूप संचालित हो।

इसी दायित्व के तहत पहले एससी - एसटी अत्याचार निवारण कानून, आंतरिक शिकायत समितियां और समान अवसर केंद्र बनाए गए।

अब 2026 के विनियमों में दो बड़े संशोधन किए गए हैं,

* पहला ओबीसी समुदाय को भी औपचारिक रूप से जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है, यह एक ऐतिहासिक कदम है परंतु

* दूसरा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, यह इसके क्रियान्वयन में संतुलन की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है।

बस इसी बात पर सारे देश में स्वर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हंगामा आगे और बढ़ाने की संभावना ज़ोरो से व्यक्त जारी कर रहे है।

इन संशोधनों की गहराई

पहला संशोधित प्रावधानः ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना, यूजीसी द्वारा किया गया पहला बड़ा संशोधन यह है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र और शिक्षक भी उसी तरह जातिगत भेदभाव के संरक्षण दायरे में आ गए हैं, जैसे एससी और एसटी समुदाय पहले से थे।

यह निर्णय सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करती है।

आलोचना यह नहीं है कि ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी गई, बल्कि यह है कि सुरक्षा का दायरा एक तरफा बना दिया गया है।

यदि किसी सामान्य (जनरल कैटेगरी) वर्ग के छात्र या शिक्षक पर ओबीसी, एससी या एसटी से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जाता है, तो उस पर कठोर संस्थागत प्रक्रिया शुरू हो जाती है जांच, निलंबन, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक बदनामी, ये सभी उस व्यक्ति के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं।

समस्या तब और गहरी हो जाती है जब अंततः शिकायत झूठी सिद्ध हो जाए। नियमों में ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।

यह एकतरफा संरचना न केवल असंतुलित है, बल्कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है।

दूसरा संशोधित प्रावधानः-झूठी शिकायतों पर दंड का पूर्ण अभाव, यूजीसी विनियम 2026 का दूसरा और सबसे विवादास्पद संशोधन यह है कि झूठी या दुर्भावना पूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पहले के नियमों और कई विश्वविद्यालयीय कोड ऑफ कंडक्ट में कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प खुला रहता था। अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यह प्रावधान आलोचकों के अनुसार कानूनी दुरुपयोग को संस्थागत वैधता देता है।

किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव का आरोप लगता है, तो वह दोषी सिद्ध होने से पहले ही सामाजिक रूप से अपराधी मान लिया जाता है। उसकी नौकरी, शोध, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन यदि वर्षों बाद वह निर्दोष साबित होता है, तब भी न्याय अधूरा रह जाता है, क्योंकि जिसने झूठा आरोप लगाया, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती।

नेचुरल जस्टिस और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धांत है, कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर ही दंड मिलेगा।

यूजीसी के नए विनियम इन दोनों सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। जब एक वर्ग को पूर्ण संरक्षण और दूसरे वर्ग को केवल दंड का सामना करना पड़े, तो यह समानता नहीं, बल्कि संरक्षित असमानता बन जाती है।

न्यायपालिका ने भी कई फैसलों में कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं, बल्कि संतुलन है।

यदि झूठी शिकायतों पर कोई अंकुश नहीं होगा, तो यह व्यवस्था अंततः उसी सामाजिक ताने - बाने को नुकसान पहुँचाएगी, जिसे बचाने के लिए यह नियम बनाए गए हैं।

संशोधन की स्थिति के बाद शिक्षा क़े माहौल और सामाजिक ध्रुवीकरण, इन संशोधित नियमों का सबसे बड़ा प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरों के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ेगा। शिक्षक और प्रशासक निर्णय लेने से डरेंगे, छात्र खुलकर संवाद करने से हिचकेंगे और हर असहमति को जातिगत चश्मे से देखा जाने लगेगा। इससे विश्वास का संकट पैदा होगा, जो किसी भी ज्ञान - आधारित संस्थान के लिए घातक है।

साथ ही, सवर्ण और आरक्षित वर्गों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है।

यदि न्याय एकतरफा प्रतीत होगा, तो प्रतिक्रिया भी सामाजिक स्तर पर असंतुलित होगी।

यह स्थिति अंततः उसी सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देगी, जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं।

यूजीसी समानता विनियम, 2026:- सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती

1. अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन,

* यूजीसी के नए विनियम जाति - आधारित भेदभाव की शिकायतों में एकतरफा संरक्षण प्रदान करते हैं।

* एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के शिकायतकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा दी गई है, जबकि जनरल कैटेगरी के आरोपी व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण नहीं मिलता।

* झूठी शिकायत सिद्ध होने पर भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान न होना, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है।

2. नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) का हनन,

* विनियमों में आरोपी के लिए प्रभावी सेफ गार्ड्स का अभाव है।

* बिना प्रारंभिक जांच के कठोर संस्थागत कार्रवाई, तथा अंततः

* शिकायत झूठी पाए जाने पर भी शिकायतकर्ता की जवाबदेही ना तय करना,

3. आधार केवल शिकायतकर्ता की जाति और आरोपी की सामाजिक श्रेणी है, न कि कृत्य की गंभीरता या प्रमाण।

* सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, कोई भी वर्गीकरण, बुद्धि संगत आधार और उद्देश्य से तार्किक संबंध पर खरा उतरना चाहिए। यह विनियम इस कसौटी पर विफल होते हैं।

4. न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रयास,

झूठी शिकायतों पर दंड हटाना संस्थागत दुरुपयोग को बढ़ावा देता है और न्यायिक हस्तक्षेप को अप्रभावी बनाता है। यह रूल ऑफ़ लॉ और डयू प्रोसेस की अवधारणा को कमजोर करता है।

5. अनुपात हीनता का सिद्धांत,

* भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए उपाय अत्यधिक कठोर हैं और कम दखल वाले विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं अपनाया गया।

* इससे अधिकारों पर अनावश्यक और अनुपातहीन प्रतिबंध लगता है।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के संदर्भ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कोवनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष, संतुलित और जवाबदेह होनी चाहिए।

* किसी भी एंटी - डिसक्रिमिनेशन कानून में फ्रिवोलस या मैलिशियस शिकायतों के खिलाफ सुरक्षा तंत्र मौजूद होता है।

* यूरोप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी नस्लीय या जातीय भेदभाव के खिलाफ सख्त कानून हैं, लेकिन वहाँ झूठे आरोपों पर दंड का स्पष्ट प्रावधान होता है।

* भारत में यदि यूजीसी के नियम इस संतुलन को नहीं अपनाते, तो यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी सवाल खड़े कर सकता है कि क्या भारत का उच्च शिक्षा तंत्र निष्पक्षता के वैश्विक मानकों पर खरा उतरता है।

विश्लेषण यूजीसी के समानता विनियम, 2026 का उद्देश्य सही है, जातिगत भेदभाव का अंत और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण लेकिन उद्देश्य की पवित्रता, साधनों की त्रुटियों को नहीं ढक सकती। ओबीसी को सुरक्षा देना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ न्यायिक संतुलन, उत्तरदायित्व और समानता भी उतनी ही आवश्यक है।

यदि झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान नहीं जोड़ा गया, तो यह नियम सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक विभाजन का कारण बन सकते हैं।

संविधान का अनुच्छेद 14 और नेचुरल जस्टिस केवल कानूनी शब्द नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हैं।

यूजीसी और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इस आत्मा का सम्मान करें और नियमों में आवश्यक संशोधन कर न्याय को संतुलित, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाएं।

प्रेम के लिए सैक्स पूजा पर सैक्स के लिए प्रेम पाप

पिंकी कुंडू

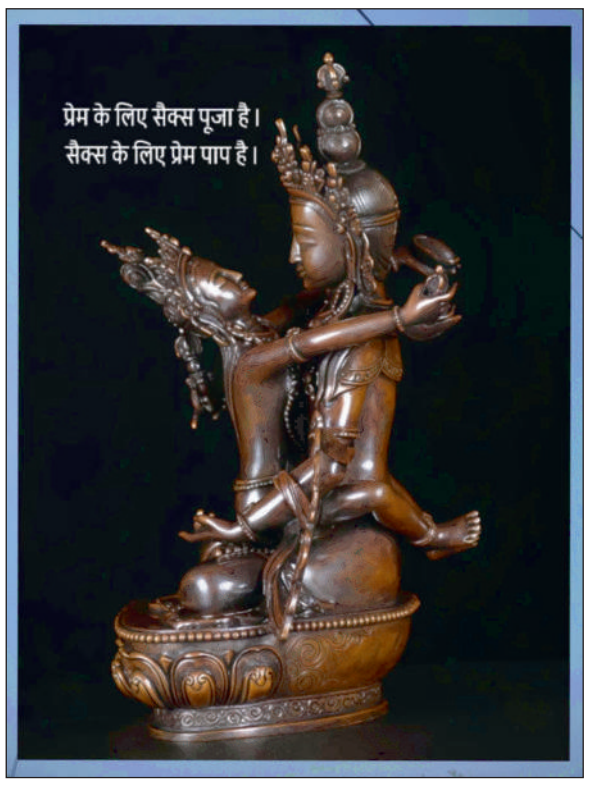

संसार में हम बहुत सी वस्तुओं, प्राणियों से प्यार करते हैं।

* क्या सबसे हमारा प्रेम संबंध सै*स का ही होता है?

* क्या सै*स के बिना प्रेम नहीं हो सकता?

सिर्फ शारीरिक संबंधों से कोई ज्ञानी हो पाता, तो संसार में कोई अज्ञानी नहीं होता।

हम अपनी पाशविक प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक आवरण में छुपाना चाहें तो बात अलग है।पर इतना पक्का है कि इस तरह कोई भी सै*स से मुक्त नहीं हो सकता। आध्यात्म का मुख्य लक्ष्य वासनाओं से मुक्ति ही है।

पशु उस तरह कामुक नहीं होता जिस तरह मनुष्य।क्योंकि पशु पूरी तरह शरीर के स्तर पर जीता है। परन्तु मनुष्य कामुक होता है। क्योंकि मनुष्य को शरीर के अतिरिक्त अशरीरी भावनात्मक अनुभूतियों का अनुभव होता है। इसीलिये मनुष्य शारीरिक भूख मिटने के बाद भी असंतुष्ट बना रहता है।

उसे आत्मिक मिलन की चाह बनी रहती है। जबतक आत्मिक मिलन की चाह पूरी नहीं होती, वह तड़फता रहता है।

पाशविक और मानवीय प्रवृत्तियों में बहुत अंतर होता है। मनुष्य में मानवीय प्रवृत्तियों का ठीक से जागरण न हो तो मनुष्य पशूओं से भी बदतर व्यवहार कर बैठता है।

मैं सै*स की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा हूँ जो सै*स के पार, दैहिक रिश्तों से ऊपर है।

जो लोग सैक्स को ही मंजिल मान बैठे हैं। वे आध्यात्म की अनंत ऊचाईयों को नहीं पा सकते।

आध्यात्म में आत्मिक मिलन की बात है। सुख के लिए दूसरों पर निर्भर न रह कर आत्म निर्भरता की बात होती है पर कुछ लोग अपनी इच्छाओं वासनाओं को आध्यात्मिक लबादे में छुपाने का प्रयास करते हैं।

कुछ लोग कहते हैं कि सैक्स अपराध नहीं है जबकि सबसे अधिक अपराध इसी विषय से संबंधित होते हैं।

बल्कि हर अपराध के पीछे सैक्स ही मुख्य कारण होता है। मनुष्य जानवरों तक से सैक्स करता है। इस हिसाब से मनुष्य दोपाया जानवर ही सिद्ध होता है। बल्कि जानवर से बदतर हैवान होना भी कह सकते है।

आध्यात्म में तो मनुष्य को पशु भाव से ऊपर उठ कर वीर भाव, और आखिर में दिव्य भाव पाना है। पशु तो अपने स्वभाव से विवश होता है। लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव का अतिक्रमण करने की सामर्थ्य से युक्त है। आध्यात्म उसी सामर्थ्य से परिचित कराता है।

मनुष्य सिर्फ यांत्रिक होता तो समस्या नहीं होती। मानव मन शरीर के अतिरिक्त भी मांगता है। अज्ञान में वह मांग पूरी नहीं होती। इसीलिये बैचैन होकर कई प्रकार के उपाय करता है और अधिक दुखी होता है।

पारिवारिक कलह के पीछे अधिकतर इस विषय की अज्ञानता होती है। एक दूसरे का यंत्र की तरह उपयोग किये जाने से अंतरमन को गहरी चोट लगती है। यदि संबंध आत्मिक तल पर अनुभव किये जाएं तो चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं।

भेदभाव की दीवारें गिराने चले, भरोसे की नींव ही हिला दी

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर ऐसे संवेदनशील चौराहे पर खड़ी है, जहाँ "समानता", "न्याय" और "सुरक्षा" जैसे शब्दों के अर्थ को लेकर गहरी बहस छिड़ गई है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम को आधिकारिक रूप से जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। आयोग का तर्क है कि पिछले पाँच वर्षों में जातिगत शिकायतों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और रोहित वेमुला तथा पायल तड़वी जैसे मामलों ने संस्थानों की संवेदनहीनता को उजागर किया है। इसी आधार पर हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र, समानता समिति, 24 घंटे की हेल्पलाइन और संस्थान प्रमुखों की सीधी जवाबदेही जैसे कड़े प्रावधान किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी, या फिर समानता के नाम पर एक नई असमानता को जन्म देगी।

नए नियमों की मूल संरचना ही सबसे बड़ा विवाद बन गई है। जातिगत भेदभाव की परिभाषा लगभग पूरी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दी गई है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक यदि किसी प्रकार के भेदभाव का सामना करें, तो उनके लिए कोई स्पष्ट और समान तंत्र मौजूद नहीं है। पुराने 2012 के नियमों में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया है, जिससे जांच प्रक्रिया में संतुलन बना रहता था। नए नियमों में इस प्रावधान को हटाना कई लोगों को चिंतित कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे शिकायतें न्याय का साधन कम और दबाव का हथियार अधिक बन सकती हैं। समानता समिति में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व न होना भी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यही कारण है कि कई लोग इसे संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध मान रहे हैं।

यह असंतोष अब केवल अकादमिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक भूचाल में बदल गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, जिसमें उन्होंने यूजीसी नियमों को 'ब्लैक लॉ' करार देते हुए सामान्य वर्ग को असुरक्षित बताया और शंकराचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया; इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी। लखनऊ में युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के अनेक नेताओं सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गईं। सामाजिक माध्यमों पर प्रसिद्ध हस्तियों की टिप्पणियों ने भावनात्मक स्वर को और तीखा कर दिया। आलोचकों का आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नियमों में प्रमुखता देकर राजनीतिक लाभ साधने का प्रयास किया गया, जबकि सामान्य वर्ग को हाशिए पर धकेला जा रहा है।

राजनीतिक हलचल के समानांतर, देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय के बाहर सामान्य वर्ग के छात्रों का धरना यह स्पष्ट संकेत देता है कि विरोध भेदभाव रोकने के उद्देश्य के खिलाफ नहीं, बल्कि एकतरफा व्यवस्था के खिलाफ है। "कैंपस में अराजकता नहीं, समानता चाहिए" जैसे नारे छात्रों की मानसिक पीड़ा को उजागर करते हैं। अखिल एबीवीपी (बीजेपी से जुड़ा) और एनएसयूआई (कांग्रेस से जुड़ा) जैसे वैचारिक रूप से अलग संगठन भी इस मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई दिए, जो अपने आप में असाधारण है। कई छात्र संघों ने औपचारिक पत्र लिखकर नियमों को वापस लेने या संशोधित करने की माँग की है। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि अनुपालन का अत्यधिक दबाव संस्थानों को रक्षात्मक बना देगा, जहाँ झूठी शिकायतों से बचने के लिए सामान्य वर्ग को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसका सीधा असर पढ़ाई, शोध और कैंपस के मानसिक माहौल पर पड़ रहा है।

विवाद के बढ़ने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आयोग और सरकारों को निष्पक्ष क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आलोचक पूछते हैं कि जब नियमों की संरचना ही असंतुलित हो, तो केवल आश्वासन से क्या बदलेगा। उनकी माँग है कि झूठी शिकायतों पर सख्त दंड का प्रावधान जोड़ा जाए, भेदभाव की परिभाषा सभी वर्गों के लिए समान हो और समानता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए। आयोग का कहना है कि बढ़ती शिकायतों ने कठोर कदम आवश्यक बना दिए थे, लेकिन विरोधी मानते हैं कि आँकड़ों के पीछे के कारणों की गहन जाँच के बिना बनाए गए नियम समस्या को सुलझाने के बजाय बढ़ा सकते हैं।

यह विवाद केवल एक नियमन का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की दिशा का प्रश्न बन गया है। समानता का अर्थ यह नहीं कि एक वर्ग की सुरक्षा के नाम पर दूसरे को भय और असुरक्षा में डाल दिया जाए। उच्च शिक्षा में समावेशिता निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन वह संतुलन, पारदर्शिता और पारस्परिक विश्वास के बिना संभव नहीं। यदि नियम भय और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं, तो वे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। आयोग को चाहिए कि वह विरोध को हठधर्मिता से नहीं, बल्कि संवाद और संशोधन से संबोधित करे। सुप्रीम कोर्ट में विनीत जिंदल और मृत्युंजय तिवारी जैसी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें नियमों को असंवैधानिक और एकतरफा बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस मामले में निर्णायक होगा, लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि शिक्षा केवल कानून से नहीं, विश्वास से चलती है। असल प्रश्न यही है कि क्या ये नियम भेदभाव की दीवारें गिराएँगे या नई दीवारें खड़ी करेंगे। इसका उत्तर आने वाले समय में भारतीय उच्च शिक्षा और सामाजिक सद्भाव की दिशा तय करेगा।

ईमेलः rtirkjain@gmail.com

"इन्द्रिया और ध्यानः जीवन का गहन अनुभव"

संजय कुमार बाठला

हमारा जीवन केवल देखना, सुनना या महसूस करना नहीं है। असली अनुभव तब आता है जब हम अपनी इन्द्रियों (सेंस) के माध्यम से पूरे ध्यान और जागरूकता के साथ दुनिया को अनुभव करते हैं। हर क्षण, हर ध्वनि, हर स्पर्श और हर स्वाद हमें जीवन की सूक्ष्मताओं से जोड़ता है। यही वास्तविक जीवन का ध्यान है।

इन्द्रियाँ केवल शरीर के अंग नहीं हैं; यह हमारे मन और अनुभव के द्वार हैं। जब हम अपनी इन्द्रियों पर सचेत ध्यान देते हैं, तो साधारण क्रियाएँ भी गहरे अर्थ वाली बन जाती हैं।

1. दृष्टि और जागरूक देखना आंखें केवल देखने के लिए नहीं होतीं; ये ध्यान का पहला द्वार हैं।

* उदाहरणः सुबह के समय यदि आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, तो सिर्फ पेड़ और सड़क देखना पर्याप्त नहीं है। बल्कि आप देख सकते हैं कि कैसे सूरज की पहली किरण पत्तों पर चमक रही है, कैसे हवा के हल्के झोंके पत्तियों को हिला रहे हैं, और कैसे पक्षी अपनी चाल से दिन की शुरुआत कर रहे हैं।

* ध्यान अभ्यासः

* तीन मिनट के लिए सिर्फ देखने पर ध्यान दें।

* हर रंग, हर रूप और हर हलचल को महसूस करें।

* बिना कुछ सोचने या नाम देने के, इसे अनुभव करें।

यह अभ्यास दृष्टि को स्पष्ट करता है और मन को वर्तमान में केंद्रित करता है।

2. श्रवण और ध्वनि का अनुभव कान हमारे मन और भावनाओं के सघन संपर्क का माध्यम हैं। ध्वनि केवल सुनाई देने वाली चीज़ नहीं; यह हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है।

* उदाहरणः सुबह के समय पक्षियों का गीत सुनना, बारिश की बूंदों की आवाज़ महसूस करना या हवा में पत्तों की सरसराहट। यदि आप इसे ध्यान से सुनें, तो हर आवाज़ आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकती है।

* ध्यान अभ्यासः

* एक शांत स्थान पर बैठें।

* आंखें बंद करें और सिर्फ ध्वनि पर ध्यान दें।

* हर आवाज़ को पहचानने की कोशिश करें तेज़ या धीमी, नजदीकी या दूर की।

* किसी भी भावना या विचार को जज किए बिना स्वीकार करें।

यह श्रवण ध्यान मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है।

3. स्पर्श और संवेदनशीलता त्वचा और हाथ हमें दुनिया से जोड़ते हैं। स्पर्श सिर्फ छूने का माध्यम नहीं है; यह वर्तमान में जुड़ने का तरीका है।

* उदाहरणः सुबह उठते ही अपने पैरों को जमीन पर रखें। ठंडा या गर्म ताप महसूस करें। अपने हाथों से पानी या मिट्टी को छूएं। यह सिर्फ शारीरिक संवेदना नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता और जागरूकता पैदा करता है।

* ध्यान अभ्यासः

* हाथों और पैरों के तलवों में महसूस होने वाली हर अनुभूति पर ध्यान दें।

* मसाज या हल्का स्पर्श करते समय हर गति को अनुभव करें।

* रोज़मर्रा के काम जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ़ करना भी ध्यान के अभ्यास में बदल सकते हैं।

स्पर्श से जागरूकता शरीर और मन के बीच सेतु बनाती है।

4. गंध और स्मृति नाक केवल खुशबू महसूस करने का माध्यम नहीं; यह स्मृति और भावनाओं को जागृत करने वाला द्वार है।

* उदाहरणः सुबह ताज़ी बनी चाय या कॉफी की खुशबू को महसूस करना, किसी फूल या मिट्टी की सुगंध में खो जाना। ये अनुभव हमें वर्तमान में ले आते हैं और पुराने स्मृति के भाव भी जगाते हैं।

* ध्यान अभ्यासः

* धीरे-धीरे साँस लें और हर गंध को नोटिस करें।

* गंध के साथ उठने वाले भावों को स्वीकार करें।

* कोशिश करें कि आप गंध और उसका अनुभव केवल महसूस करें, किसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश न करें।

यह अभ्यास मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है।

5. स्वाद और भोजन का ध्यान जीभ और स्वाद न केवल भोजन के6. लिए हैं; ये स्मृति और आनंद का माध्यम हैं।

* उदाहरणः सुबह के समय नींबू पानी या हर्बल चाय का पहला घूँट पीना। सिर्फ स्वाद पर ध्यान दें – खट्टा, मीठा, गर्म या ठंडा। हर स्वाद अनुभव को अपने भीतर महसूस करें।

* ध्यान अभ्यासः

* भोजन करते समय टीवी या फोन से ध्यान हटाएँ।

* हर कौर को धीरे-धीरे चबाएँ और उसके स्वाद को महसूस करें।

* अपने शरीर की प्रतिक्रिया, जैसे गर्मी, सुकून या आनंद, को भी नोटिस करें।

यह अभ्यास खाने की आदतों को सुधरता है और आंतरिक संतुलन बनाता है।

इन्द्रियों के माध्यम से जीवन का ध्यान इन्द्रियों का यह अभ्यास केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं है। यह एक गहन जीवन दर्शन है:

* हर दिन की छोटी क्रियाएँ भी गहन अनुभव बन सकती हैं।

* हमारे मन को वर्तमान में लाने और संतुलित रखने में इन्द्रियाँ सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं।

* जीवन केवल गुजरने वाला समय नहीं, बल्कि हर अनुभव का संग्रह बन जाता है।

सुबह के समय अपने इन्द्रियों पर ध्यान देना, उन्हें सक्रिय करना और हर अनुभव को सचेत रूप से महसूस करना, हमें जीवन की गहराई, संतुलन और पूर्णता का अनुभव कराता है।

यूजीसी के नए समानता विनियम 2026:- सामाजिक न्याय बनाम संवैधानिक संतुलन -एक समग्र, संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

सामाजिक न्याय के नाम पर बनाए जाने वाले कानूनों नियमों में संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना का पालन करना जरूरी **-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र**

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में दिनांक 28 जनवरी 2026 को संसद के बजट सत्र के प्रथम दिन माननीय राष्ट्रपति ने संसद के सभी सदनों को संबोधित करते हुए कहा 2014 की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं केवल 25 करोड़ नागरिकों तक ही पहुंच पा रही थीं। मेरी सरकार के निरंतर प्रयासों से आज लगभग 95 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है,तो दूसरी ओर शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए सवर्णो का आंदोलन छिड़ाहुआ है ।हम जानते हैं कि वैश्विक स्तरपर भारत का उच्च शिक्षा तंत्र केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है,बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों का संवाहक भीहै ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) इस पूरे ढांचे का नियामक स्तंभ है,जिसके नियम देश के लाखों छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी द्वारा अधिसूचित और 15 जनवरी से प्रभावी किए गए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना विनियम, 2026 इसी परंपरा का हिस्सा हैं। इन नियमों का घोषित उद्देश्य एससी,एसटी और अब पहली बार ओबीसी समुदायों के छात्रों व शिक्षकों को जातिगत भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना है। उद्देश्य निस्संदेह संवैधानिक है,किंतु जिस प्रकार से दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं,मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि उन्होंने पूरे देश में गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक बहस को जन्म दे दिया है ।इन नियमों के लागू होते ही बिहार,उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश,राजस्थान सहित कई राज्यों में सवर्ण समाज के संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध का कारण आरक्षण नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया में असमानता और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान का पूर्ण अभाव है ।आलोचकों का कहना है कि ये नियम सामाजिक न्याय के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 21 तथा 14 (समानता का अधिकार) और नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) की मूल भावना को कमजोर करते हैं।

साथियों बात अगर हम यूजीसी का अधिकार क्षेत्र और उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझने की करें तो यूजीसी जिसे अंग्रेज़ी में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहा जाता है,देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय नियामक निकाय है। 12वीं के बाद स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी या शोध, हर स्तर पर छात्र-छात्राएं किसी न किसी रूप में यूजीसी के नियमों के अधीन आते हैं। यूजीसी का दायित्व केवल फंडिंग या मान्यता देना नहीं है,बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि शिक्षा प्रणाली संवैधानिक मूल्यों, न्याय, समानता और मानव गरिमा के अनुरूप संचालित हो ।इसी दायित्व के तहत पहले एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून,आंतरिक शिकायत समितियां और समान अवसर केंद्र बनाए गए। अब 2026 के विनियमों में दो बड़े संशोधन किए गए हैं,पहला ओबीसी समुदाय को भी औपचारिक रूप से जातिगत भेदभाव के दायरे में शामिल किया गया है,यह एक ऐतिहासिक कदम है परंतु दूसरा झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी,यह इसके क्रियान्वयन में संतुलन की कमी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बस इसी बात पर सारे देश में स्वर्ण संगठन आंदोलन कर रहे हैं और हंगामा आगे और बढ़ाने की संभावना ज़ोरो से व्यक्ति के जारी है।

साथियों बात अगर हम इन संशोधनों को गहराई से समझने की करें तोपहला संशोधित प्रावधान:ओबीसी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल करना,यूजीसी द्वारा किया गया पहला बड़ा संशोधन यह है कि अब अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के छात्र और शिक्षक भी उसी तरह जातिगत भेदभाव के संरक्षण दायरे में आ गए हैं,जैसे एससी और एसटी समुदाय पहले से थे। यह निर्णय सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी आज भी शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष भेदभाव का सामना करती है ।हालांकि, आलोचना यह नहीं है कि ओबीसी को सुरक्षा क्यों दी गई, बल्कि यह है कि सुरक्षा का दायरा एकतरफा बना दिया गया है। यदि किसी सामान्य (जनरल कैटेगरी) वर्ग केछात्र या शिक्षक पर ओबीसी, एससी या एसटी से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया जाता है,तो उस पर कठोर संस्थागत प्रक्रिया शुरू हो जाती है जांच, निलंबन, प्रशासनिक कार्रवाई और सामाजिक बदनामी,ये सभी उस व्यक्ति के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकते हैं ।समस्या तब और गहरी हो जाती है जब अंतत: शिकायत झूठी सिद्ध हो जाए। नियमों में ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। यह एकतरफा संरचना न केवल असंतुलित है, बल्कि संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। दूसरा संशोधित प्रावधान:-झूठी शिकायतों पर दंड कापूर्ण अभाव,यूजीसी विनियम 2026 का दूसरा और सबसे विवादास्पद संशोधन यह है कि झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। पहले के नियमों और कई विश्वविद्यालयीय कोड ऑफ कंडक्ट में कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई का विकल्प खुला रहता था। अब उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यह प्रावधान आलोचकों के अनुसार कानूनी दुरुपयोग को संस्थागत वैधता देता है। किसी भी जनरल कैटेगरी के व्यक्ति के खिलाफ यदि जातिगत भेदभाव का आरोप लगता है, तो वह दोषी सिद्ध होने से पहले ही सामाजिक रूप से अपराधी मान लिया जाता है। उसकी नौकरी, शोध, पदोन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लग जाता है। लेकिन यदि वर्षों बाद वह निर्दोष साबित होता है, तब भी न्याय अधूरा रह जाता है, क्योंकि जिसने झूठा आरोप लगाया, उस पर कोई जवाबदेही नहीं होती।

साथियों बात अगर हम नेचुरल जस्टिस और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इसको समझने की करें तो,भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धांत है,कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के दोषी नहीं ठहराया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर ही दंड मिलेगा। यूजीसी के नए विनियम इन दोनों सिद्धांतों को कमजोर करते प्रतीत होते हैं ।जब एक वर्ग को पूर्ण संरक्षण और दूसरे वर्ग को केवल दंड का सामना करना पड़े, तो यह समानता नहीं, बल्कि संरक्षित असमानता बन जाती है। न्यायपालिका ने भी कई फैसलों में कहा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं, बल्कि संतुलन है। यदि झूठी शिकायतों पर कोई अंकुश नहीं होगा,तो यह व्यवस्था अंतत: उसी सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुँचाएगी, जिसे बचाने के लिए यह नियम बनाए गएहैं।

साथियों बात अगर हम संशोधन की स्थिति के बाद शिक्षा क़े माहौल और सामाजिक ध्रुवीकरण को समझने की करें तो,इन संशोधित नियमों का सबसे बड़ा प्रभाव विश्वविद्यालय परिसरों के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ेगा। शिक्षक और प्रशासक निर्णय लेने से डरेंगे, छात्र खुलकर संवाद करने से हिचकेंगे और हर असहमति को जातिगत चश्मे से देखा जाने लगेगा। इससे विश्वास का संकट पैदा होगा, जो किसी भी ज्ञान- आधारित संस्थान के लिए घातक है ।साथ ही, सवर्ण और आरक्षित वर्गों के बीच पहले से मौजूद सामाजिक तनाव और गहरा हो सकता है। यदि न्याय एकतरफा प्रतीत होगा,तो प्रतिक्रिया भी सामाजिक स्तर पर असंतुलित होगी। यह स्थिति अंतत: उसी सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देगी, जिसके लिए ये नियम बनाए गए हैं।

साथियों बात अगर हम यूजीसी समानता विनियम, 2026:- सुप्रीम कोर्ट में संभावित चुनौती क़े संक्षिप्त ढांचे को समझने की करें तो (1)अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन, यूजीसी के नए विनियम जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों में एकतरफा संरक्षण प्रदान करते हैं। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के शिकायतकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा दी गई है, जबकि जनरल कैटेगरी के आरोपी व्यक्ति को समान कानूनी संरक्षण नहीं मिलता। झूठी शिकायत सिद्ध होने पर भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक प्रावधान न होना, कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है ।(2) नेचुरल जस्टिस (प्राकृतिक न्याय) का हनन,विनियमों में आरोपी के लिए प्रभावी सेफगार्ड्स का अभाव है। बिना प्रारंभिक जांच के कठोर संस्थागत कार्रवाई, तथा अंतत: शिकायत झूठी पाए जाने पर भी शिकायतकर्ता की जवाबदेही न तय करना, (3) आधार केवल शिकायतकर्ता की जाति और आरोपी की सामाजिक श्रेणी है, न कि कृत्य की गंभीरता या प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, कोई भी वर्गीकरण,बुद्धिसंगत आधार और उद्देश्य से तार्किक संबंध पर खरा उतरना चाहिए। यह विनियम इस कसौटी पर विफल होते हैं। (4) न्यायिक समीक्षा से बचने का प्रयास,झूठी शिकायतों पर दंड हटाना संस्थागत दुरुपयोग को बढ़ावा देता है और न्यायिक हस्तक्षेप को अप्रभावी बनाता है। यह रूल ऑफ़ लॉ और ड्यू प्रोसेस की अवधारणा को कमजोर करता है ।(5) अनुपातहीनता का सिद्धांत, भेदभाव रोकने के उद्देश्य से बनाए गए उपाय अत्यधिक कठोर हैं और कम दखल वाले विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं अपनाया गया। इससे अधिकारों पर अनावश्यक और अनुपातहीन प्रतिबंध लगता है।

UGC के नए नियमों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन, CJI सूर्यकांत की बेंच कल करेगी सुनवाई

UGC के नए 'समानता संवर्द्धन विनियम 2026' के खिलाफ देशभर में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया है।

परिवहन विशेष न्यूज

देशभर में UGC के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. नए नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी. यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नए नियमों के तहत इक्विटी कमेटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24 ×7 हेल्पलाइन अनिवार्य की गई है, जिनका उद्देश्य SC, ST और OBC छात्रों के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नियमों में सामान्य वर्ग को "नेचुरल ऑफेंडर" की तरह देखा गया है और उनके प्रतिनिधित्व का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. वे कहते हैं कि शिकायत निवारण के इन प्रावधानों का दुरुपयोग कर सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है. इधर, यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है. 13 जनवरी को अधिसूचित इन नियमों ने सियासत और कैंपस दोनों में उथल-पुथल मचा दी है. वाराणसी, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किए हैं. छात्र संगठन नियमों को "एकतरफा, भेदभावपूर्ण और असंतुलित" बताकर उन्हें तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि UGC ने जाति-आधारित भेदभाव की "गैर-समावेशी परिभाषा" दी है, जिसमें कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि नए नियम भेदभाव की परिभाषा को केवल SC/ST/OBC तक सीमित करते हैं, जबकि भेदभाव किसी भी समूह के खिलाफ हो सकता है. नियमों के मुताबिक समता समितियों में OBC, SC, ST, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन सामान्य वर्ग का नहीं. उधर सरकार का कहना है कि ये नियम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए हैं. विवाद के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.

यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ डीयू में भी प्रोटेस्ट यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ प्रदर्शन बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंच गया. कम से कम 50 छात्रों ने इन नियमों को पूरी तरह वापस लेने की मांग करते हुए नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के पास प्रोटेस्ट किया. छात्रों ने डीयू के प्रॉक्टर ऑफिस को एक ज्ञापन सौंपकर यूजीसी के नए नियमों को पक्षपाती और विभाजनकारी करार दिया. उनका कहना था कि ये नियम भेदभाव खत्म करने के बजाय कॉलेजों में छात्रों के बीच विभाजन को गहरा कर सकते हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने भी किया प्रदर्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के एक वर्ग ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में इन्हें वापस नहीं लिया गया तो जनांदोलन किया जाएगा. हाईकोर्ट के पास अंबेडकर चौराहे पर वकीलों ने नारेबाजी करते हुए यूजीसी के नए नियम की कॉपी जलाई और इसे विभाजनकारी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. उनका कहना था कि ये नियम समाज को विभाजित करने वाले हैं. इससे जातियों के बीच दुश्मनी पैदा होगी.

CJI सूर्यकांत की बेंच गुरुवार को करेगी सुनवाई UGC के नए रेगुलेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच सुनवाई करेगी. नए नियमों को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं. ये नियम एससी-एसटी या ओबीसी वर्ग के अलावा अन्य समुदायों को उनकी शिकायतों के समाधान और संस्थागत सुरक्षा से वंचित करते हैं.

रायबरेली में बीजेपी नेता ने पद छोड़ा, पीएम को भेजा पत्र यूजीसी के नए नियमों के विरोध में रायबरेली में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने अपना पद छोड़ दिया. रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के सलोन मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री और पार्टी नेताओं को लिखे पत्र में नए नियमों को घातक और विभाजनकारी करार दिया.

यूपी के देवरिया में भी मार्च, वकीलों ने किया समर्थन यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया. हजारों की संख्या में लोगों ने नारे लगाते हुए सुभाष चौक से कलक्ट्रेट की तरफ मार्च किया. बाद में डीएम दिव्या मित्तल ने प्रदर्शन स्थल पर जाकर ज्ञापन लिया और रास्ता खुलवाया. कई वकीलों ने प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हुए काली पट्टी बांधकर काम किया.

UGC के नए नियमों पर तस्वीर साफ करेगी सरकार UGC के नए नियमों को लेकर जो आशंकाएं फैली हुई हैं, सरकार उन पर जल्दी ही तस्वीर साफ कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस मुद्दे पर मंत्रालय के अंदर लगातार मंथन चल रहा है और हर पहलू को गौर से देखा जा रहा है. चूंकि अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए सरकार कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी बात सामने रखेगी. मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये नियम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं. जैसे ही इन्हें लेकर SOP यानी गाइडलाइंस जारी होंगी, तस्वीर और साफ हो जाएगी.

भदोही में सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, किया प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ भदोही में सवर्ण समाज ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. इस दौरान हजारों की संख्या में लोग उमड़े. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. एक विद्यार्थी की पहचान उसकी योग्यता से होनी चाहिए, उसकी जाति से नहीं. इस प्रदर्शन के दौरान 'शिक्षा बचाओ, जाति नहीं बढ़ाओ' जैसे नारे गूंजे.

याचिका में क्या कहा गया है?
याचिकाकर्ता ने अपने मौजूदा स्वरूप में नियमों के कार्यान्वयन को रोकने के लिए निर्देश मांगा है. याचिका में अपील की गई कि जाति पहचान के आधार पर शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच से इनकार करना अस्वीकार्य राज्य भेदभाव के बराबर है. याचिका में कहा गया है कि यह चयनात्मक ढांचा न सिर्फ माफ करता है बल्कि गैर-आरक्षित कैटेगरी के खिलाफ अनियंत्रित दुश्मनी को प्रभावी ढंग से प्रोत्साहित करता है, जिससे नियम समानता के बजाय विभाजन का एक उपकरण बन जाते हैं.

भाजपा के पास कोई काम नहीं, देश में फैला रही नफरत: पप्पू यादव नए यूजीसी कानून को लेकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है. पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ₹हम लोगों को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? नफरत, समाज को बांटना, तोड़ना, इकोनॉमी पर चर्चा नहीं होनी है. हम तो उम्मीद करेंगे कि जो पचास प्रतिशत टैरिफ लगा है, उस पर सरकार जवाब दे."

सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उस नियम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है, जिसमें कथित तौर पर जाति आधारित भेदभाव की 'गैर-समावेशी' परिभाषा अपनाई गई है.

मायावती ने यूजीसी के समता संवर्द्धन संबंधी नए नियमों का किया समर्थन, कहा-'विरोध उचित नहीं'
बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु) विनियम, 2026 का बचाव करते हुए बुधवार को कहा कि सामान्य वर्ग के कुछ लोगों द्वारा इस कदम का विरोध ''बिल्कुल भी उचित नहीं है''. हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि सामाजिक तनाव से बचने के लिए इन नियमों को व्यापक विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिए था.
मायावती ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ''देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी भेदभाव के निराकरण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा सरकारी कॉलेज और निजी विश्वविद्यालयों में समता समिति बनाने के नए नियम के कुछ प्रावधानों का केवल जातिवादी मानसिकता वाले सामान्य वर्ग के लोग ही विरोध कर रहे हैं, इसे भेदभाव और षड्यंत्र मानना कतई उचित नहीं है"

"पहले खामियाँ सुधारें"- UGC विनियम सुनवाई वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट में नई UGC विनियम 2026 अधिसूचना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर हलचल तेज है, जहां अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि पहले याचिका की खामियों को दूर करें, उसके बाद ही मामला सूचीबद्ध किया जाएगा. याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नए विनियमों में सामान्य वर्ग के लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है और इक्विटी कमेटियों में केवल आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे व्यवस्था जातिगत रूप से एकतरफा हो जाती है. नवीनतम याचिका में UGC के नियम 3(c) को चुनौती देते हुए यह मांग की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी हेल्पलाइन और ओम्बड्सपर्सन की प्रक्रिया सभी वर्गों के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जाए और शिकायत निवारण के अधिकार को जाति के आधार पर सीमित करना संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 का उल्लंघन है.

देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग रांची में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों के खिलाफ मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया. बुधवार को भी कई संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे. मुझे लगता है कि यूजीसी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिएःबीजेपी सांसद यूजीसी के नए नियम पर राज्यसभा में भाजपा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को विवादों में घसीटना ठीक नहीं है... बेवजह विवाद खड़ा किया गया है. रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून हैं. लेकिन मुझे आशंका है, और लोग खुलकर नहीं कह रहे हैं, कि इन नियमों के बाद शैक्षणिक संस्थान विवादों का केंद्र बन जाएंगे. छात्र किसी भी जाति के हों, वे पढ़ने के लिए वहां हैं और उन्हें यह छूट दी गई है कि चाहे कोई भी बात हो, यहां तक कि मामूली सी लड़ाई भी हो जाए - शिकायत दर्ज कराकर किसी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं. इसलिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. मुझे लगता है कि यूजीसी को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए... सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए..."

उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन के लिए विनियम 2026 का उद्देश्य सराहनीय: ABVP:- अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026' के मूल उद्देश्यों की सराहना करती है, लेकिन विनियमों में स्पष्टता और संतुलन अत्यंत आवश्यक है. ABVP का मानना है कि यूजीसी और सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र की उस अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहां प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समता युक्त बने. ABVP सदैव ही शैक्षिक परिसरों में सकारात्मक और समतायुक्त परिवेश बनाने की दिशा में कार्य करती रही है और लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन की पक्षधर रही है. आगामी वर्षों में 'विकसित भारत' के संकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है.

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियम के खिलाफ लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. छात्र मानते हैं कि यूजीसी के हाल ही में अधिसूचित नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन से उनकी मांगों पर तुरंत ध्यान देने और नियमों में सुधार करने की अपील की. प्रदर्शन में कई छात्र-नेता और विवि छात्र संगठन शामिल रहे. विश्विद्यालय में मंगलवार को छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि प्रशासन को पूरे परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और विश्वविद्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. प्रवेश द्वार संख्या-एक पर एकत्र छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों को अव्यवहारिक, अस्पष्ट और मनमाना करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की.

यूजीसी के नए नियम भेदभावपूर्ण नहीं होंगे, दुरुपयोग नहीं होगा: सरकार का आश्वासन सरकार ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए नए यूजीसी नियमों का ''दुरुपयोग'' नहीं होने दिया जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. वहीं, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये नियम परिसरों में अराजकता पैदा कर सकते हैं. इस बीच, सरकारी नीतियों, विशेष रूप से नए यूजीसी नियमों के विरोध में सेवा से इस्तीफा देने के बाद अनुशासनहीनता के आरोपों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निलंबित किए गए बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने खिलाफ सुनियोजित साजिश का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट में धरना दिया।

ग्यारस उद्यापन कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न

जगदीश सीरवी

हैदराबाद स्थित जीडिमेटला सीरवी समाज मंदिर (बडेर), जीडिमेटला में ग्यारस उद्यापन कार्यक्रम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां प्रदान कर धर्मलाभ प्राप्त किया। वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर राजस्थानी मित्र मंडल, जगदगिरीगुट्टा, आलविन कॉलोनी (हैदराबाद) सहित सर्व समाज के गणमान्य पदाधिकारी एवं सर्व समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

बिना किसी डर के परीक्षाओं का सामना करें : डॉ. विजय गर्ग

यदि आप छात्र हैं और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बेचैन और घबराये हुए हैं, तो संभवतः आप चिंता और भय से ग्रस्त होंगे। आपको ध्यान केंद्रित करना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि आपको चिंता होती है कि आप अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे भूल जाएंगे। लेटर टू ए स्टूडेंट नामक पुस्तिका में स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने परीक्षा के डर की महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा की है।

उनका कहना है कि परीक्षा का डर छात्रों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके तनाव के कारण कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं। इस संदर्भ में 'परीक्षा बुखार' शब्द गढ़ा गया है। यहां तक कि जिन छात्रों ने लंबे समय तक अध्ययन किया है, वे भी परीक्षा के समय घबरा जाते हैं। इसलिए, स्वामी कहते हैं, हिम्मत मत हारो, तुम निश्चित रूप से स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हो। भय मनोविकृति से बाहर निकलने के लिए, स्वामी पुरुषोत्तमानंद छात्रों से अनुरोध करते हैं कि वे स्वयं से पूछें कि डरने से उन्हें क्या लाभ होगा। क्योंकि, भय बीमारी लाता है। लेकिन साहसी और बहादुर होकर, एक औसत छात्र भी परीक्षा में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन यदि कोई छात्र भय को दूर रखता है, तो यह उसके मन और शरीर की शक्ति से वंचित कर देगा। ₹इसका एकमात्र परिणाम यह हो सकता हैः परीक्षा देते समय आप जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसे 'भूल' जाएंगे। यही डर आपको भ्रमित उत्तर लिखने के लिए मजबूर करता है।₹ वह कहते हैं, ₹आत्मविश्वास को अनुशासित अध्ययन के साथ मिलाकर अपने मन में छिपी भय की भावना को दूर करें; अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखें... यह दृढ़ विश्वास कि आप परीक्षाएं अच्छी तरह से लिखेंगे, शांत मन के साथ, आत्मविश्वास है। यदि आप इसे विकसित कर सकें, तो भय गायब हो जाएगा और उसके स्थान पर उत्साह उभर आएगा।ष

छात्र स्वामी विवेकानंद के उत्साहवर्धक शब्दों से प्रेरणा ले सकते हैं, जिनका विश्वास की शक्ति पर बहुत विश्वास था। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे पहले अपने आप पर विश्वास रखें। उन्होंने कहाः ₹दुनिया का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिनका अपने आप पर विश्वास था। वह विश्वास अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करता है। आप कुछ भी कर सकते हैं. आप तभी असफल होते हैं जब आप अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करते।₹ विभिन्न अवसरों पर स्वामीजी ने इस बात पर जोर दिया कि ₹आप जो भी सोचेंगे, आप वही होंगे। यदि आप स्वयं को कमजोर समझते हैं, तो आप कमज़ोर हो जायेंगे; यदि आप स्वयं का मजबूत मानते हैं, तो आपके पास ताकत होगी।₹ वह कहते थेः ₹कभी भी यह मत कहो कि, 'मैं नहीं कर सकता', क्योंकि तुम अनंत हो। यहां तक कि समय और स्थान भी आपके स्वभाव की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं।ष

विवेकानंद की सफलता के लिए नुस्खा यह हैः ष्सफल होने के लिए, आपके पास जबरदस्त दृढ़ता और जबरदस्त इच्छाशक्ति होनी चाहिए। दृढ़ आत्मा कहती है, 'मैं समुद्र को पीऊंगा, मेरी इच्छा से पहाड़ टूट जाएंगे।' उस तरह की ऊर्जा, उस तरह की इच्छाशक्ति रखें; कड़ी मेहनत करें, और आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे₹... उन्होंने आगे कहाः ₹यदि उप-निषादों में से कोई एक शब्द है जो अज्ञानता के लोगों पर बम की तरह फट रहा है, तो वह है निडरता... शक्ति जीवन है; कमजोरी मृत्यु है। शक्ति सुख है, जीवन शाश्वत है, अमर है; कमजोरी तनाव और दुख है... ।ष

जो छात्र निडरता विकसित करते हैं, तथा परीक्षाओं का साहसपूर्वक सामना करते हैं, उनके लिए सफलता आस-पास ही प्रतीक्षा कर रही है। यह सच है कि कभी-कभी दुर्भाग्यवश, सबसे मेहनती और समर्पित छात्रों को भी परिणाम अच्छे नहीं लगते। हालाँकि, असफलता के सबसे बुरे परिदृश्य में भी आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह दुनिया का अंत है। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया है कि हर काम में सफलता और असफलता होती है। वास्तव में, असफलताएं हमें और भी अधिक बुद्धिमान बनाती हैं। निरंतर अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है, इसलिए किसी को भी प्रयास करते समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

ष्कल एक और दिन हैष के लिए नई आशाओं और अवसरों के साथ, और आपको नई चुनौतियों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की उम्मीद करनी चाहिए।

सेवानिवृत्त प्रधान शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद स्ट्रीट कौर चंद एमएचआर. मलोट पंजाब

भुवनेश्वर सुंदरपाड़ा बम विस्फोट घटना पर NIA ने बम ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: भुवनेश्वर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन के तहत सुंदरपाड़ा गांव में बम ब्लास्ट की घटना हुई है। NIA या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बम ब्लास्ट की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को असामान्य मानते हुए और घटना में एक खास ग्रुप के शामिल होने के बाद, NIA ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने घटना में शामिल सभी लोगों और घायलों से पूछताछ शुरू कर दी है।गंभीर रूप से घायल लोगों को छोड़कर बाकी सभी से पूछताछ चल रही है। छत पर छिपाया गया यह बम किस मकसद से बनाया गया था, क्या यह सिर्फ विस्फोटक सप्लाई करने के लिए था या उनका कोई बड़ा प्लान था, इसकी भी जांच चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि NIA ने सबसे पहले घर के मालिक से पूछताछ की है।

गौरतलब है कि यह धमाका भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा आजादनगर में बम लगाते समय हुआ था। जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। मुख्य आरोपी शहनबाज मलिक के नाम पर कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं। नयापल्ली, मैत्री विहार थाना इलाके में क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शहनबाज के खिलाफ हत्या की कोशिश और धमाके करने के मामले दर्ज हैं। इस धमाके में शहनबाज, उसकी मां, बहन और दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह साफ नहीं है कि वे किराए पर पांच मंजिला इमारत में यह धमाका कैसे कर पाए। मौके से बारूद जब्त कर लिया गया है। शुरुआती जांच के बाद भुवनेश्वर DCP ने बताया।

नव निर्माण किसान संगठन के ओड़िशा बंद का प्रभाब ज्यादा नही

मनोरंजन शासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : अनाज मंडी खुलने और धान की बिक्री में गड़बड़ी की वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। सरकार पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर आम लोगों से कई हजार रुपये का जुर्माना वसूल रही है। टाटा पावर स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर लूटपाट में लगी है। इन मुद्दों को लेकर नवनिर्माण किसान अष्टमी ने बुधवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 8 घंटे के लिए ओडिशा बंद का आह्वान किया है। नव निर्माण किसान संघठन द्वारा बुलाया गया 8 घंटे का बंद भुवनेश्वर में असरदार नहीं है। पेट्रोल टैंक बंद हैं, वहीं एजुकेशनल इंस्टिट्यूट और बैंक बंद हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर बंद असरदार नहीं है. भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन, उत्तरा और पंडारा में कुछ लोग धरना दे रहे थे,

प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने नव निर्माण किसान संगठन के बंद के लिए समर्थन जताया है। PCC की तरफ से राज्य की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को इसके लिए अपना समर्थन जताने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, BJD ने भी इनडायरेक्टली इसके लिए अपना समर्थन जताया है।

निकाय चुनाव को लेकर चाईबासा , सरायकेला जिला में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड - झारखंड

सरायकेला , पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में स्थित नगर निगम,नगरपालिका, नगर पंचायत निर्वाचन–2026 के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नितिश कुमार तथा चंदन कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया । सरायकेला जिला में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत की उपस्थिति में समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की।

प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त नितिश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा जारीप्रेस नोट संख्या 187, दिनांक 27 जनवरी 2026 के आलोक में जिले के नगर निकाय क्षेत्रों में नगरपालिका निर्वाचन–2026 संपन्न कराया जाना है। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही सभी नगर निकाय क्षेत्रों (आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत) में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिसका सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं संबंधित व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि सभा, जुलूस अथवा लाउडस्पीकर के उपयोग हेतु प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदर्श आचार संहिता अथवा निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध निर्वाचन कानूनों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने नगर निकाय क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।

पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने कहा कि नगर निकाय निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना पुलिस प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले के अति-संवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित कर वहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।

उन्होंने बताया कि अवैध शराब की तस्करी, नकद वितरण तथा हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु विशेष टीम एवं फ्लाइंग स्क्वॉड का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक अथवा नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाइसेंसी हथियार धारकों को निर्धारित समयावधि के भीतर अपने हथियार संबंधित थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया है। बिना अनुमति के सभा, जुलूस अथवा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मतदान केंद्रों का विवरण

आदित्यपुर नगर निगम : 35 वार्ड — 136 मतदान केंद्र,कपाली नगर परिषद : 21 वार्ड — 31 मतदान केंद्र,सरायकेला नगर पंचायत : 11 वार्ड — 13 मतदान केंद्र,,नगर निकाय क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण

आदित्यपुर नगर निगम मे

पुरुष : 70,837
महिला : 69,051
तृतीय लिंग : 01
कुल : 1,39,889

कपाली नगर परिषद

पुरुष : 16,509
महिला : 17,256
तृतीय लिंग : 01
कुल : 33,766

सरायकेला नगर पंचायत

पुरुष : 5,410
महिला : 5,352
तृतीय लिंग : 00
कुल : 10,762

▪***निर्वाचन कार्यक्रम***

निर्वाचन की सूचना प्रकाशन : 28.01.2026
नाम निर्देशन पत्र दाखिल : 29.01.2026 से 04.02.2026 (प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)
नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा : 05.02.2026
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि : 06.02.2026
निर्वाचन प्रतीक आवंटन : 07.02.2026
मतदान : 23.02.2026 (प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक)
मतगणना : 27.02.2026 (प्रातः 8:00 बजे से)

निर्वाचन से संबंधित अद्यतन जानकारी जिले की आधिकारिक वेबसाइट seraikela.nic.in पर उपलब्ध रहेगी।

प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेन्द्र उरांव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

उधर पश्चिमी सिंहभूम

नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय स्थित सभागार में प्रेस ब्रीफिंग का आयोजन किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जानकारी दिया गया कि आज राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर परिषद चुनाव की घोषणा कर दी गई है। पश्चिम सिंहभूम जिले में दो नगर परिषद चाईबासा और चक्रधरपुर है। चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 21 वार्ड में 38 बूथ और कुल मतदाताओं की संख्या 36344 हैं, वही चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र में 23 वार्ड मे कुल 49 बूथ और कुल मतदाताओं की संख्या 45265 है।

सरायकेला खनन विभाग द्वारा बंगाल सीमावर्ती जागरडीह में हुई कार्रवाई

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला , अपने कार्रवाई के लिए राज्य को अधिक राजस्व देने वाले जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी के नेतृत्व में जिला खनन विभाग द्वारा चांडिल अनुमंडल क्षेत्र मे अवैध बालू खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया।

उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर निरीक्षण अभियान के क्रम में तिरुलडीह थाना अंतर्गत मौजा–सपादा एवं सिरकाडीह तथा ईचागढ़ थाना अंतर्गत मौजा–सोड़ो जारगोडीह में अवैध बालू भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान तिरुलडीह थाना अंतर्गत मौजा–सपादा एवं सिरकाडीह में लगभग 1,10,000 (एक लाख दस हजार) घनफीट अवैध बालू भंडारण को विधिवत जब्त किया गया। इसी क्रम में तिरुलडीह थाना अंतर्गत

मौजा–सिरकाडीह में मिट्टी खनिज का अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन (Backhoe Loader) को जब्त कर तिरुलडीह थाना को सुपुर्द किया गया।

इसके अतिरिक्त ईचागढ़ थाना अंतर्गत मौजा–सोड़ो जारगोडीह में लगभग 45,000 (पैंतालीस हजार) घनफीट अवैध बालू खनिज भंडारण को भी विधिवत जब्त किया गया। जब्त बालू खनिज भंडारण को शीघ्रातिशीघ्र ई-नीलामी किए जाने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में आज पूर्वाह्न में जिला खनन विभाग द्वारा नीमडीह थाना अंतर्गत मौजा–झीमडी का निरीक्षण किया गया। उक्त मौजा स्थित लाल टुंगरी (एकलव्य विद्यालय परिसर) में लौह अयस्क खनिज के अवैध उत्खनन से संबंधित तीन बड़े गड्ढे पाए गए। इस संबंध में लौह अयस्क के अवैध उत्खनन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

इस बाबत उपायुक्त नितिश कुमार सिंह द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जिले के किसी भी क्षेत्र में खनिजों के अवैध खनन, भंडारण अथवा परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

स्लाइट में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन

लोंगोवाल, 28 जनवरी (जगसीर सिंह) – संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के मिनी ऑडिटोरियम, में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्लाइट

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा स्लाइट

स्कॉलरशिप सेल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. सुबिता भगत एवं डॉ. दिलजिंदर सिंह ने किया। यह कार्यक्रम स्लाइट के

निदेशक प्रो. मणिकांत पासवान के निर्देशन और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिनकी पहल से यह उत्सव संभव हो पाया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. वी. के. कुकरेजा, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर रहे। कार्यक्रम में प्रो. इंद्राज सिंह, समन्वयक डॉ. सुबिता भगत एवं डॉ. दिलजिंदर सिंह, संकाय सदस्य, कर्मचारी एवं छात्र उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की शुरुआत ज्योति प्रज्वलन एवं कुलगीत से हुई। स्वागत भाषण डॉ. सुबिता भगत ने दिया। प्रो. इंद्राज सिंह ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में प्रो. वी. के. कुकरेजा ने छात्रों को मतदान के महत्व से अवगत कराते हुए लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका पर बल दिया।

कार्यक्रम के दौरान छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की गईं, जिससे समारोह और भी प्रभावशाली बन गया। इस अवसर पर क्विज प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता एवं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 340 छात्रों ने पंजीकरण कराया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन समिति के सदस्यों को प्रमाण पत्र एवं पदक प्रदान किए गए।

डॉ. सुबिता भगत ने सभी अतिथियों एवं छात्रों को मतदाता शपथ दिलाई। कार्यक्रम का समापन डॉ. दिलजिंदर सिंह के धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ।

स्लाइट संस्थान में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया

लोगोंवाल,28 जनवरी (जगसीर सिंह)-

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह का शुभारंभ स्लाइट के निदेशक प्रोफेसर मणिकांत पासवान द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। संस्थान के एनसीसी कैडेटों ने निदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। एनसीसी कैडेटों और सुरक्षा गार्डों द्वारा भव्य परेड का प्रदर्शन किया गया। स्लाइट निदेशक प्रोफेसर मणिकांत पासवान ने सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि हमें ईमानदारी, समानता और एकजुटता के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करते हुए भारत को एक बेहतर देश बनाना चाहिए। इस अवसर पर छात्रों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें देशभक्ति गीत गायन, योग प्रदर्शन और राष्ट्र को समर्पित गीतों पर नृत्य शामिल थे। इस अवसर पर 15 पीएचडी शोधार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रकाशनों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। छात्रों में शारीरिक तंदुरुस्ती और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए अंतर-छात्रावासीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अंत में, छात्र कल्याण विभाग के डीन प्रोफेसर वी. के. कुकरेजा द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया।

केन्द्रीय विद्यालय स्लाईट में गणतंत्र दिवस समारोह राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक गरिमा के साथ सम्पन्न

लोगोंवाल, 28 जनवरी (जगसीर सिंह)- केन्द्रीय विद्यालय स्लाईट लौंगोवाल में 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत हर्षोल्लास, गरिमा एवं देशभक्ति की भावना के साथ भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मणिकांत पासवान, निदेशक संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लौंगोवाल तथा अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रोफेसर कमलेश कुमारी, प्रोफेसर वी. के. कुकरेजा एवं श्रीमती सुनीता पासवान की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य श्री हरि हर यादव ने की।

समारोह का शुभारंभ स्काउट–गाइड के विद्यार्थियों द्वारा अनुशासित एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति के साथ हुआ। इसके उपरांत विद्यालय प्रांगण देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सजीव झलक से सराबोर हो उठा। देशभक्ति गीत, समूह गान, वंदे मातरम् गान, समूह नृत्य, एकल गायन तथा भावप्रवण एकाभिनय ने उपस्थित जनसमूह को भावविभोर कर दिया। हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषणों में राष्ट्रप्रेम, संविधान की गरिमा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिली। छात्रा हरसिमरन कौर का हिन्दी भाषण विचारों की प्रखरता एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण रहा।

समारोह के दौरान बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को मुख्य अतिथि के करकमलों से प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हरियाणवी लोकनृत्य रहा, जिसने भारतीय लोकसंस्कृति की जीवंत छटा प्रस्तुत की। वहीं छात्रा आरोही मेहता द्वारा देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिक का सजीव एकाभिनय दर्शकों के हृदय को गहराई से स्पर्श कर गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मणिकांत पासवान ने अपने प्रेरक उद्बोधन में विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों तथा विविध शिक्षणेत्तर गतिविधियों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को अनुशासन, परिश्रम एवं राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर होने का संदेश दिया। अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य श्री हरि हर यादव ने गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक औचित्य, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, भारतीय संविधान की महत्ता एवं लोकतंत्र की सुदृढ़ता पर सारगर्भित विचार व्यक्त किए। श्री पवन कुमार, स्नातकोत्तर शिक्षक (अर्थशास्त्र) ने अपने उद्बोधन में इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को रोचक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में श्री आकाश हलदार, स्नातकोत्तर शिक्षक (रसायन विज्ञान) ने धन्यवाद ज्ञापन किया। समारोह के समन्वयक श्री राजकुमार जिन्दोलिया, स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी) रहे, जबकि मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती दिव्या शर्मा ने देशभक्ति की पंक्तियों एवं प्रेरक उद्धरणों के साथ सशक्त एवं प्रभावशाली ढंग से किया। अंततः मिष्टान्न वितरण के साथ 77वाँ गणतंत्र दिवस समारोह सुखद, उल्लासपूर्ण एवं अविस्मरणीय स्मृतियों के साथ संपन्न हुआ।

अधिवक्ता स्वर्गीय अजय सिन्हा के श्राद्ध कर्म में मंटू पांडेय सहित कई लोगों ने दी श्रद्धांजलि

कैमूर संवाददाता, संतोष कुमार चतुर्वेदी

कैमूर। सिविल कोर्ट भभुआ के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय अजय कुमार सिन्हा के श्राद्ध कर्म के अवसर पर आज नगर के वार्ड नंबर 11 स्थित चकबंदी रोड स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न अधिवक्ताओं और गणमान्य नागरिकों ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बता दें कि श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से अधिवक्ता मंटू पांडेय, लल्लन पांडेय, अनिल कुमार, गिरीश कुमार श्रीवास्तव, कौशल उपाध्याय और परवीन खातून शामिल रहे। वही इस दुखद घड़ी को याद करते हुए मंटू पांडेय ने बताया कि जिला अधिवक्ता संघ भभुआ के सम्मानित सदस्य, 66 वर्षीय अजय कुमार सिन्हा का निधन बीते 16 जनवरी 2026 को हुआ था। वह सिविल कोर्ट की नई बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर स्थित एसीजेएम पंचम (डॉ. शैल) के न्यायालय में कार्य के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्हें तत्काल सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। वही आज उनके श्राद्ध कर्म के मौके पर उपस्थित सहयोगियों ने स्वर्गीय सिन्हा के व्यक्तित्व और वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि अजय सिन्हा का असमय जाना जिला अधिवक्ता संघ के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह अपने मिलनसार स्वभाव और विधिक ज्ञान के लिए सदैव याद किए जाएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023